[2022] 13 एस. सी. आर. 592

मेसर्स हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2022 की सिविल अपील संख्या 7405)

17 अक्टूबर, 2022

[बी. आर. गवई और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017: एस. एस. 11,174 (2) (सी) निरसन और बचत-कर कर छूट-2003 के कार्यालय ज्ञापन ने 10 वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क की छूट प्रदान की।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख और

मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ-अपीलकर्ताओं ने उक्त अवधि के लिए छूट का लाभ उठाया, जिसके बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था अस्तित्व में आई और अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त लाभ को बजटीय समर्थन नीति के माध्यम से घटाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया-इसे चुनौती देने वाली रिट याचिकाएँ, जिन्हें उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया-अपील पर कहा गयाः यद्यपि एस की उप-धारा (2) के खंड (सी) का पहला भाग। 174 संशोधित अधिनियम या निरस्त अधिनियमों के तहत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व आदि की रक्षा करेगा, इसके लिए परंतुक में प्रावधान है कि निवेश के खिलाफ प्रोत्साहन के रूप में दी गई कोई भी कर छूट एक विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी यदि उक्त अधिसूचना को नियत दिन या उसके बाद रद्द कर दिया जाता है-2003 की अधिसूचना के तहत दिया गया लाभ धाराओं की उप-धारा (2) के खंड (सी) के परंतुक के तहत जारी अधिसूचना को देखते हुए रद्द कर दिया जाता है। 174 - जब विधायिका सार्वजनिक भलाई के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, तो पहले

प्रतिनिधित्व सरकार के खिलाफ काम नहीं करेगा क्योंकि

न्यायसंगत बहिष्कार-राज्य के विधायी कार्यों के प्रयोग के खिलाफ कोई वचनबद्ध अवरोध नहीं हो सकता है-यदि अपीलार्थियों की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो यह उक्त ओ. एम. में किए गए अभ्यावेदन और 2003 की अधिसूचना को लागू करने के बराबर होगा।

एस के परंतुक में विधायी निगमन। 174 (2) (ग)-इस प्रकार, निष्कासन पर अपीलार्थी का दावा खारिज कर दिया जाता है-हालाँकि, अपीलार्थियों को संबंधित राज्य सरकार और जी. एस. टी. परिषद के समक्ष अभ्यावेदन करने की अनुमति दी गई।

प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत-इसके खिलाफ लागू होना

विधायिका अपने विधायी कार्यों के अभ्यास में-जब

592 मेसर्स हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

एक बाद का क़ानून विशेष रूप से पहले के क़ानून के तहत दिए गए लाभों को रद्द करने का प्रावधान करता है, क्या केंद्र सरकार को पहले की अधिसूचना के माध्यम से किए गए अभ्यावेदन के साथ खड़े होने के लिए मजबूर किया जा सकता है-समझाया और चर्चा की गई।

जब आयोजित किया गया तो मैंडमस जारी करने का लेखनः के बारे में लिखें

मैंडमस जारी किया जा सकता है जहां प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है या इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग किया है।

दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक विचार पर-सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी विशेष तरीके से शक्ति का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश का एक रिट जारी नहीं किया जा सकता है-यह न्यायालय

सरकार के नीतिगत मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि ऐसी नीति स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन नहीं पाई जाती।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 यद्यपि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 174 की उप-धारा (2) के खंड (ग) का पहला भाग,

2017 संशोधित अधिनियम या निरस्त अधिनियमों के तहत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व आदि की रक्षा करेगा, इसके लिए परंतुक में प्रावधान है कि निवेश के खिलाफ प्रोत्साहन के रूप में दी गई कोई भी कर छूट विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी यदि उक्त अधिसूचना को नियत दिन या उसके बाद रद्द कर दिया जाता है। मान लीजिए, 18 जुलाई 2017 की अधिसूचना No.21/2017 के माध्यम से, पहले की विभिन्न क्षेत्र-आधारित छूट अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2003 की अधिसूचना के तहत दिया गया लाभ खंड (सी) के प्रावधान के तहत जारी अधिसूचना को देखते हुए रद्द कर दिया गया है।

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 की धारा (2)। [पैरा 30] [610-जीएच; 611-ए-बी] 1.2 अपने विधायी कार्यों के प्रयोग में विधायिका के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। संविधान पीठ में

एम. रामनाथ पिल्लई के मामले ने अमेरिकी न्यायशास्त्र में इस दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी है कि राज्य के खिलाफ उसकी सरकारी, सार्वजनिक या संप्रभु क्षमता में बहिष्कार का सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा। इसने आगे कहा कि इस्टोपेल के सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में एकमात्र अपवाद वह है जहां यह आवश्यक है

धोखाधड़ी या प्रकट अन्याय को रोकने के लिए। [पैरा 54] [624-ई-जी] 1.3 . निर्विवाद रूप से, छूट अधिसूचना को वापस लेने के लिए 18 जुलाई 2017 की अधिसूचना जारी की गई थी

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 (2) (सी) के तहत प्रदान किए गए वैधानिक अधिदेश का। यदि अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया विवाद [2022] 13 एस. सी. आर. है।

यदि यह स्वीकार किया जाता है, तो यह सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 (2) (सी) के प्रावधान के तहत प्रावधानों को निरर्थक और अन्य बना देगा। विधायिका ने अपने विवेक में धारा 174 (2) (सी) के प्रावधान को विशेष रूप से शामिल किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अधिसूचना के माध्यम से निवेश के खिलाफ प्रोत्साहन के रूप में दी गई कोई भी कर छूट विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी यदि उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है। यदि विवाद स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक को लागू करने के बराबर होगा

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 (2) (सी)। दूसरे शब्दों में, यह एक अवरोध को विधायी कार्यों के खिलाफ संचालित करने की अनुमति देगा संसद। निष्कासन पर अपीलार्थियों का दावा आधारहीन है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। [पैरा 55] [624-जी-एच; 625-ए-सी]

तत्काल मामले में लागू किए जा रहे जी. एस. टी. अधिनियम के कारण, संघ को इसके द्वारा बाध्य रखना सही नहीं होगा इसके द्वारा किया गया अभ्यावेदन, अर्थात 2003 के उक्त ओ. एम. द्वारा। इसके अलावा, यह सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 (2) (सी) के तहत अधिनियमित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होगा। [पैरा 58] [626-बी-सी]

1.6 जब तक कि अपीलार्थी कोई वैधानिक कर्तव्य न दिखाएँ

प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा उन्हें 100% धनवापसी प्रदान करने के लिए, जैसा कि माँगा गया था, अनिवार्य लिखित आदेश जारी नहीं किया जा सका। जहां प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है या उसने इस तरह के विवेकाधिकार का दुर्भावनापूर्ण तरीके से या अप्रासंगिक विचार पर प्रयोग किया है, वहां अनिवार्य लिखित आदेश जारी किया जा सकता है। तत्काल मामले में, सी. जी. एस. टी. के 100% को वापस करने के लिए संघ पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। इस प्रकार, मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। [पैरा 61,62,64] [627 सी-डी; 627-एच; 628-ए; 628-एफ-जी] 1.7 . सी. जी. एस. टी. एम./एस. हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार को अनिवार्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

एक विशेष तरीके से कार्य करें। किसी भी मामले में, यह नीति का विषय है जिसे केंद्र/राज्य द्वारा निर्णय लेते समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या उसे भुगतान से छूट दी जानी चाहिए।

सी. जी. एस. टी. का भुगतान करें या भुगतान किए गए कर की वापसी के लिए बजटीय आवंटन करें। किसी भी मामले में, ऐसी शक्ति का प्रयोग केंद्र द्वारा किया जा सकता है।

संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया सी. जी. एस. टी.। यह तय है कि यह न्यायालय सरकार के नीतिगत मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि ऐसी नीति स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन नहीं पाई जाती। मामले के उस दृष्टिकोण में, न्यायालय यह नहीं पाता है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 11 के आधार पर किया गया दावा किसी भी सार का है। [पैरा 71] [630-डी-जी] 1.8 यद्यपि प्रतिज्ञापत्र के आधार पर अपीलार्थियों का दावा आधारहीन है, लेकिन यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि अपीलार्थियों का दावा पूरी तरह से आधारहीन है। [पैरा 72] [630-जी-एच]

1.9 अपीलार्थियों ने औद्योगिक नीति के आधार पर अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की है जैसा कि उक्त ओ. एम. में परिलक्षित होता है।

उत्तराखंड तक। इस प्रकार, नीति को सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए बयान को प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया था देश। उक्त नीति के आधार पर, अपीलकर्ताओं ने स्थापित किया है

उनकी इकाइयाँ। हालाँकि अपीलार्थियों का कानूनी रूप से दावा नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें एक वैध अपेक्षा है कि उनका दावा उचित विचार के योग्य है। [पैरा 73] [630-एच; 631-ए-बी] 1.10 जी. एस. टी. परिषद ने देखा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उत्पाद शुल्क के विभिन्न प्रोत्साहन दिए थे।

मूल्य वर्धित कर (वैट) और केंद्रीय बिक्री कर (सी. एस. टी.) ताकि उन राज्यों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। यह भी ध्यान दिया कि

तथ्य यह है कि इस तरह के प्रोत्साहनों को जारी नहीं रखा जा सका क्योंकि [2022] 13 एस. सी. आर. में कर के प्रवाह की अनुमति देने के लिए कर के भुगतान पर आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी।

गंतव्य राज्य। जो समाधान सुझाया गया था वह प्रदान करना था

उन इकाइयों को भुगतान किए गए कर की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य और केंद्रीय बजट में बजटीय विभाजन के लिए जिन्हें एक निर्दिष्ट अवधि तक कर छूट प्राप्त थी। [पैरा 75] [631-एच; 632-ए-बी] 1.11 स्वयं जी. एस. टी. परिषद के विचार-विमर्श में यह देखा गया कि राज्यों को भी तदनुसार प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता है

औद्योगिक इकाइयाँ जो किसी भी मौजूदा प्रोत्साहन योजना के तहत छूट की हकदार थीं, हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त राजस्व के हिस्से में से, जो वित्त आयोग के अनुसार 42 प्रतिशत है। [पैरा 78] [633-सी-डी] 1.12 जी. एस. टी. परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसके पास संबंधित व्यापक मुद्दों पर सिफारिशें करने की शक्तियां हैं।

जीएसटी, जिसमें जीएसटी से छूट देना भी शामिल है। यह भी है

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को नियंत्रित करने वाले विशेष प्रावधानों के संबंध में सिफारिशें करने की शक्ति। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं जैसी इकाइयों की स्थापना 2003 के उक्त ओ. एम. के आधार पर हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में की गई है और इसमें लाखों लोग कार्यरत हैं।

ऐसे उद्योगों के लिए यह उचित होगा कि ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार से हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त राजस्व के हिस्से में से ऐसी इकाइयों की प्रतिपूर्ति करने पर भी विचार करना चाहिए। अदालत ने आगे पाया कि यह भी उचित होगा कि जी. एस. टी. परिषद ऐसा करने पर विचार करे

इस संबंध में राज्यों को उचित सिफारिशें। [पैरा 79] [633-ई-जी]

1.13 अपीलार्थियों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ जी. एस. टी. के लिए अभ्यावेदन करने की अनुमति है। परिषद। न्यायालय राज्य सरकारों और जी. एस. टी. परिषद से भी अनुरोध करता है कि यदि इस तरह के अभ्यावेदन किए जाते हैं तो उन पर विचार किया जाए।

त्वरित तरीके से जो देखा गया है, उसके अनुसार। [पैरा 80] [633-एच; 634-ए]

एम. रामनाथ पिल्लई बनाम। केरल राज्य और दूसरा (1973) 2 एस. सी. सी. 650: [1974] 1 एस. सी. आर. 515; केरल राज्य और एक अन्य बनाम। ग्वालियर रेयॉन रेशम निर्माण

(डब्ल्यूवीजी)। कं. लि. (1973) 2 एस. सी. सी. 713: [1974] 1 इसके बाद एस. सी. आर. 671 आया।

' एस हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। वी. भारत का संघ और या

वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और दूसरा (1990) 3 एस. सी. सी. 87: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 731-लागू नहीं होता है।

एक अन्य बनाम के. एस. जगन्नाथन और एक अन्य (1986) 2 एस. सी. सी. 679 [1986] 2 एस. सी. आर. 17; भारत संघ और अन्य बनाम भारत फोर्ज लिमिटेड और एक अन्य सिविल अपील सं. 2022 का 5294 (2021 का @एसएलपी (सी) No.4960 16 अगस्त, 2022 को तय किया गया-जिस पर भरोसा किया गया। सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम। उल्हासनगर नगर परिषद और एक अन्य (1970) 1 एस. सी. सी. 582: [1970] 3 एस. सी. आर. 854; बिहार पूर्वी गंगा मछुआरा सहकारी समिति लिमिटेड बनाम. सिपाही सिंह और अन्य (1977) 4 एससीसी 145: [1978] 1 एस. सी. आर. 375; मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1979) 2 एससीसी 409: [1979] 2 एस. सी. आर. 641; मेसर्स जीत राम शिव कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1981) 1 एस. सी. सी. 11: [1980] 3 एससीआर 689; भारत संघ और अन्य बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (1985) 4 एससीसी 369 [1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 123; एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्रा. Ltd.and अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1986) 1 SCC 133: [1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 382; भारत संघ और अन्य। बनाम भारत-अफगान एजेंसियां लिमिटेड 1968 2 एससीआर 366; बिहार राज्य और अन्य बनाम सुप्रभात स्टील लिमिटेड और अन्य (1999) 1 एससीसी 31: [1998] 2 पूरक। एस. सी. आर. 699; झारखंड राज्य और अन्य बनाम टाटा कमिंस लिमिटेड और

एक और (2006) 4 एससीसी 57: [2006] 3 एससीआर 443; लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम हिमाचल राज्य [2022] 13 एस. सी.

प्रदेश और अन्य (2016) 1 एस. सी. सी. 560: [2015] 10 एससीआर

362 ; एम. आर. एफ. लिमिटेड, कोट्टायम बनाम सहायक। कमिश्नर

(आकलन) बिक्री कर और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 702:

[2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 417; मनुएलसन होटल्स प्राइवेट

सीमित बनाम केरल राज्य और अन्य (2016) 6 एससीसी

766 [2016] 3 एस. सी. आर. 718; पंजाब राज्य बनाम नेस्ले

इंडिया लिमिटेड और दूसरा (2004) 6 एस. सी. सी. 465: [2004] 2

पूरक। एससीआर 135; आबकारी आयुक्त, यू. पी. इलाहाबाद

540 [1976] 0 पूरक। एससीआर 532; झारखंड राज्य और ओआरएस। बनाम ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड और ओआरएस। मनु /

एससी/0906/2020 [सिविल अपील संख्या। 3860-3862 2020 से, 1.12.2020 पर निर्णय लिया गया; भारत संघ बनाम पालीवाल

इलेक्ट्रिकल्स (पी) लिमिटेड और दूसरा (1996) 3 एस. सी. सी. 407:

[1996] 3 एससीआर 845; भारत संघ और ए. एन. आर. बनाम वी. वी. एफ.

लिमिटेड और ए. एन. आर. 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 378;

भारत और अन्य बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(2022) 2 एस. सी. सी. 603; भारत संघ और एक अन्य बनाम

मोहित मिनरल्स प्रा. लिमिटेड निदेशक 2022 एससीसी के माध्यम से

ऑनलाइन एससी 657; भारत संघ और अन्य बनाम यूनिकॉर्न

उद्योग (2019) 10 एससीसी 575 [2019] 12 एससीआर 270; ऑगस्टन टेक्सटाइल कलर्स लिमिटेड (अब ऑगस्टन टेक्सटाइल)

कलर्स प्राइवेट लिमिटेड) बनाम उद्योग निदेशक और

एक और (2022) 6 एस. सी. सी. 626; कुलदिप सिंह बनाम सरकार। में से

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2006) 5 एस. सी. सी. 702 [2006] 3 पूरक। एससीआर

335 ; भारत संघ और एक अन्य बनाम अंतर्राष्ट्रीय

ट्रेडिंग कंपनी और एक अन्य (2003) 5 एस. सी. सी. 437: [2003] 1

पूरक। एस. सी. आर. 55-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 3 एससीआर 845

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

(2022) 2 एस. सी. सी. 603

पै

रा 24

संदर्भित किया गया है

[2019] 12 एससीआर 270

पै

रा 24

संदर्भित किया गया है

(2022) 6 एस. सी. सी. 626

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[2006] 3 पूरक। एससीआर 335

पै

रा 24

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 पूरक। एससीआर 55

संदर्भित किया गया है

पैरा 24 8 हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ

संदर्भित किया गया है

2 एससीआर 366

पैरा 33

पैरा 35

3 एससीआर 854

संदर्भित किया गया है

पीछा किया।

1 एससीआर 671

पैरा 38

0 पूरक। एससीआर 532

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

1 एससीआर 375

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

2 एससीआर 641 3 एससीआर 689

पैरा 44

संदर्भित किया गया है

3 पूरक। एससीआर 123

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

3 पूरक। एससीआर 382

पैरा 48

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 515

पीछा किया।

पैरा 54

4 पूरक। एससीआर 448

उस पर भरोसा करें

पैरा 56

उस पर भरोसा करें

10 पूरक। एससीआर 888

पैरा 56

2 एससीआर 798

उस पर भरोसा करें

पैरा 56

उस पर भरोसा करें

पैरा 56

3 एससीआर 134

15 एससीआर 287

उस पर भरोसा करें

पैरा 56

उस पर भरोसा करें

2 एससीआर 17

पैरा 61

2 पूरक। एससीआर 699

प्रा 66

संदर्भित किया गया है

प्रा 66

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर 443

10 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा 66

6 पूरक। एससीआर 417

संदर्भित किया गया है

पैरा 67

पैरा 67

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर 718

2 पूरक। एससीआर 135

संदर्भित किया गया है

पैरा 68

अप्रयोज्य रखा गया

2 पूरक। एससीआर 731

पैरा 69

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7 2.डब्ल्यू. पी. में नई दिल्ली में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 02.03.2020 से। (ग) 2020 का No.505।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ

2022 की सिविल अपील No.7406।

एस. गणेश, वी. श्रीधरन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीनिवास कोटनी, अक्षय कुमार, सुश्री उर्वशी कालरा, सुश्री शुभांगी, पवनश्री अग्रवाल, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, करण सचदेव, कुणाल कपूर, सोमेश जैन, साहिल पारघी, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री मौनिका कस्तूरी, प्रणव मुंद्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., अक्षय अमृतांशु, सुश्री नीला केदार गोखले, संस्कृति पाठक, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं कि क्या भारत संघ को प्रतिनिधित्व का पालन करने का निर्देश दिया जा सकता है

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके बाद "सी. जी. एस. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधिनियमन के बाद भी 7 जनवरी 2003 के कार्यालय ज्ञापन (जिसे इसके बाद "2003 का उक्त ओ. एम". के रूप में संदर्भित किया गया है) में इसके द्वारा किया गया।

3. 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12397 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपील 2 मार्च, 2020 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित, अपीलार्थी-हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा दायर 2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 505 को खारिज करते हुए, भारत सरकार द्वारा जारी 2003 के उक्त ओ. एम. द्वारा प्रदान किए गए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से दस साल के लिए पूर्व-मौजूदा एकमुश्त उत्पाद शुल्क छूट के बदले में बजट समर्थन के अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया गया। 4. 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 11978 से उत्पन्न सिविल अपील, अपीलार्थी-सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा दायर 2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 47 को खारिज करते हुए सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 फरवरी, 2021 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है।

17 फरवरी, 2003 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उसे दी गई उत्पाद शुल्क से छूट के लाभ को कम करने का आरोप लगाते हुए, जो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से दस साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाना था।

मेसर्स हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

5. इसमें दोनों अपीलकर्ताओं ने संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि 2003 के उक्त ओ. एम. को देखते हुए और

अधिसूचना No.50/2003-सी. ई. दिनांक 10 जून 2003 (इसके बाद "2003 अधिसूचना" के रूप में संदर्भित), संघ 10 वर्ष की अवधि पूरी होने तक कर छूट देने के लिए बाध्य था।

उनके वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत।

वास्तविक पृष्ठभूमि

6. वर्तमान अपीलों को दायर करने के लिए वास्तविक परिदृश्य

विस्तार वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 10 साल के लिए एकमुश्त उत्पाद शुल्क से छूट का हकदार होगा। 2003 के उक्त ओ. एम. में यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी इकाइयों के लिए शुरू में पांच साल के लिए और उसके बाद कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत और अन्य कंपनियों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए 25 प्रतिशत आयकर छूट होगी। 2003 के उक्त ओ. एम. के माध्यम से कई अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए थे।

महत्व) अधिनियम, 1957 और अतिरिक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र) अधिनियम, 1978। उक्त अधिसूचना में दस साल से अधिक की अवधि के लिए छूट का प्रावधान किया गया है।

सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से, जो भी बाद में हो। 6.3 अपीलकर्ता-हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने हरिद्वार, उत्तराखंड में मोटरसाइकिलों के निर्माण के लिए एक नई उद्योग इकाई की स्थापना की थी, जिसने 7 अप्रैल, 2008 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। अपीलार्थी-हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने 1 जुलाई, 2017 तक छूट का लाभ उठाया, जिसके बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था अस्तित्व में आई और अपीलार्थी-हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा प्राप्त लाभ को बजटीय समर्थन नीति के माध्यम से घटाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6.4 अपीलकर्ता-सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड ने अपनी पहली औद्योगिक इकाई स्थापित की जिसने 20 तारीख से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। अप्रैल, 2009। एक दूसरी इकाई भी बाद में स्थापित की गई जिसने 14 अप्रैल, 2014 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। नई जी. एस. टी. व्यवस्था के आने से पहले, अपीलार्थी की दोनों इकाइयों को छूट में दिए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का पूरा रिफंड मिल रहा था।

17 फरवरी, 2003 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 25 जून, 2003 की अधिसूचना। नई जी. एस. टी. व्यवस्था के शुरू होने के बाद, यहाँ भी, अपीलकर्ता-सन फार्मा लैबोरेटरीज द्वारा प्राप्त लाभ को लागू करने के माध्यम से घटाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया था।

बजटीय समर्थन नीति।

6.5 तत्पश्चात, संविधान द्वारा (एक सौ प्रथम)

संशोधन) अधिनियम, 2016 (इसके बाद "101 वां संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित), भारत के संविधान को पूरे भारत में वस्तु और सेवा कर प्रणाली शुरू करने के लिए संसद द्वारा संशोधित किया गया। 101 वें संशोधन अधिनियम द्वारा, केंद्र के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों सहित राज्यों को समवर्ती कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी। 101 वें संशोधन अधिनियम द्वारा, अनुच्छेद 246 ए को जोड़ा गया, जिससे एक विशेष प्रावधान बनाया गया। केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा वस्तु और सेवा कर (संक्षेप में "जी. एस. टी".) लगाने के लिए। अनुच्छेद 269 ए को भारत सरकार द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य (संक्षेप में "आई. जी. एस. टी".) के दौरान जी. एस. टी. के लेवी और संग्रह का प्रावधान करने के लिए जोड़ा गया था। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इस तरह के कर को संघ और राज्यों के बीच उस तरीके से विभाजित किया जाएगा जो संसद की सिफारिशों पर कानून द्वारा प्रदान किया जाए।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (संक्षेप में "जीएसटी परिषद")।

6.6 भारत के संविधान में उक्त संशोधनों के अनुसरण में, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके बाद "सी. जी. एस. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) और एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके बाद "आई. जी. एस. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) संसद द्वारा अधिनियमित किए गए थे और विभिन्न राज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम ("एस. जी. एस. टी".) को राज्य विधानसभाओं द्वारा अपने-अपने राज्यों के लिए जी. एस. टी. लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था। 6.7 सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 की उप-धारा (2) के खंड (सी) के तहत, प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके द्वारा छूट अधिसूचनाएं जिनके माध्यम से निवेश के खिलाफ प्रोत्साहन के रूप में कर छूट दी गई थी, निर्धारित दिन पर या उसके बाद, यानी 1 एम/एस हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को रद्द कर दिया गया था।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

जुलाई 2017। परिणामस्वरूप, 2003 के उक्त ओ. एम. द्वारा दी गई कर छूट 1 जुलाई 2017 से जारी नहीं रही।

6.8 जी. एस. टी. परिषद ने 30 सितंबर 2016 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि सभी संस्थाओं को अप्रत्यक्ष कर के भुगतान से छूट दी जाएगी। जी. एस. टी. व्यवस्था में कर का भुगतान करेंगे। इसने यह भी संकल्प लिया था कि राज्यों की मौजूदा औद्योगिक नीतियों में या केंद्र सरकार की किसी भी योजना के माध्यम से विशिष्ट उद्योगों को दिए जाने वाले किसी भी प्रोत्साहन को जारी रखने का निर्णय संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के पास होगा। यह भी संकल्प लिया गया कि संबंधित राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी मौजूदा छूट/प्रोत्साहन को जारी रखने का निर्णय लेने की स्थिति में,

आदि, फिर इसे बजटीय मार्ग के माध्यम से प्रतिपूर्ति तंत्र के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा। संबंधित राज्य/केंद्र द्वारा इसके तौर-तरीकों पर काम किया जाना था। 6.9 जी. एस. टी. परिषद की उक्त सिफारिशों के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने बजट सहायता योजना को अधिसूचित किया।

5 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना, जिससे प्रभावित पात्र उद्योगों को सी. जी. एस. टी. और आई. जी. एस. टी. के केंद्रीय हिस्से को वापस करने/प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है।

पूर्वोत्तर और हिमालय में अवशिष्ट अवधि के लिए इकाइयाँ

6.10 केंद्र सरकार द्वारा रिफंड को केवल सी. जी. एस. टी. के 58 प्रतिशत और आई. जी. एस. टी. के 29 प्रतिशत तक सीमित करने और सी. जी. एस. टी. का रिफंड प्रदान नहीं करने के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 505 के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपीलकर्ता-सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड ने रिट के माध्यम से सिक्किम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.47 है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 मार्च 2020 के अपने फैसले और आदेश के माध्यम से और सिक्किम उच्च न्यायालय ने 5 फरवरी 2021 के अपने फैसले और आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

6.11 रिट याचिकाओं के खारिज होने से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं (मूल रिट याचिकाकर्ताओं) ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

6.12 अतः वर्तमान अपीलें।

प्रस्तुतियाँ

7. हमने सिविल अपील [2022] 13 एस. सी. आर. में अपीलार्थी-हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. गणेश को सुना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12397 से उत्पन्न, श्री वी. श्रीधरन, अपीलकर्ता सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड की ओर से सिविल अपील में पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलकर्ताओं ने, केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे पर भरोसा करते हुए, अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया है और इस तरह, केंद्र सरकार अब अपीलकर्ताओं को अपने द्वारा किए गए अभ्यावेदन से पुनः प्रस्तुत करने से वंचित है। 9. श्री गणेश प्रस्तुत करते हैं कि केवल 58 प्रतिशत की सीमा तक धनवापसी का आंकड़ा मनमाने और तर्कहीन तरीके से प्राप्त किया गया है। वह.

प्रस्तुत करता है कि संघ ने कथित रूप से वित्त आयोग की रिपोर्ट के तहत ऐसा किया है। उनका तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क और अन्य सभी शुल्कों की पिछली व्यवस्था के तहत भी राज्य इसमें अपने हिस्से के हकदार थे। यह कहा गया है कि उक्त व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा हमेशा से रहा है और ऐसा नहीं है कि जी. एस. टी. व्यवस्था शुरू होने के बाद यह पहली बार आया है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि पुरानी व्यवस्था के तहत, हालांकि केंद्र सरकार अपने द्वारा एकत्र किए गए पूरे करों का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों के साथ साझा कर रही थी, फिर भी, अपीलकर्ताओं जैसी संस्थाओं को शुल्क के भुगतान से छूट दी जा रही थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसके तहत इसे जारी क्यों नहीं रखा जाना चाहिए था

नई व्यवस्था।

10. श्री गणेश आगे प्रस्तुत करते हैं कि 2003 के उक्त ओ. एम. में परिलक्षित नीति किसी कानून के तहत वैधानिक प्रावधान या अधिसूचना की तुलना में उच्च स्तर पर होगी और संघ इसका पालन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जनवरी 2003 में भी जब मेसर्स हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

छूट अधिसूचनाएँ जारी की गईं, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समान साझाकरण पैटर्न मौजूद था।

11. श्री गणेश ने आगे कहा कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 11 के तहत, सरकार के पास कर से छूट देने की शक्ति है और

इस बात का कोई कारण नहीं है कि केंद्र सरकार को विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए था

12. इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए और केंद्र सरकार को शेष अवधि के लिए सी. जी. एस. टी. की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

13. श्री गणेश ने बिहार राज्य और अन्य बनाम सुप्रभात स्टील लिमिटेड और अन्य के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। झारखंड राज्य और अन्य बनाम टाटा कमिंस लिमिटेड और अन्य 2, लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम हिमाचल राज्य

प्रदेश और अन्य 3, एम. आर. एफ. लिमिटेड, कोट्टायम बनाम सहायक। आयुक्त (मूल्यांकन) बिक्री कर और अन्य, झारखंड राज्य और अन्य। बनाम ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड और ओआरएस। 5 , मनुएलसन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य और अन्य और पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड और दूसरा?

14. उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों पर भी भरोसा किया। हालांकि, हम उन्हें संदर्भित करने के लिए आवश्यक नहीं पाते हैं क्योंकि कानून पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है।

15. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. श्रीधरन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इसे बढ़ावा देने की नीति बनाई है

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और रोजगार। उन्होंने कहा कि जी. एस. टी. व्यवस्था के बाद भी उसे उक्त नीति को जारी रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने लाभ को आईडी1 से घटाकर 58 प्रतिशत कर दिया है तो उसे लाभ की अवधि बढ़ानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2003 की औद्योगिक नीति में किए गए वादे को लागू किया जाए।

1 (1999) 1 एससीसी 31

2 2 (2006) 4 एससीसी 57

3 (2016) 1 एससीसी 560

4 (2006) 8 एस. सी. सी. 702 5 एम. ए. एन. यू./एस. सी./0906/2020 [सिविल अपील सं. 3860-3862 2020 का, 1.12.2020] 6 (2016) 6 एस. सी. सी. 766 पर निर्णय लिया गया

7 (2004) 6 एससीसी 465 [2022] 13 एस. सी. आर.

और भारत संघ बनाम पालीवाल इलेक्ट्रिकल्स (पी) लिमिटेड और एक अन्य "। 16. श्री श्रीधरन ने आगे कहा कि सिक्किम उच्च न्यायालय ने केवल इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

भारत और एन. आर. बनाम। वी. वी. एफ. लिमिटेड और Anr.[1]0 10 उन्होंने प्रस्तुत किया कि वी. वी. एफ. लिमिटेड और ए. एन. आर. के मामले में मुद्दा। (उपर्युक्त) अधिसूचना को वापस लेने के संबंध में था क्योंकि इसका दुरुपयोग पाया गया था। वे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति अलग है और इस तरह, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में गलती की थी।

17. श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (संक्षेप में "ए. एस. जी".), इसके विपरीत, प्रस्तुत करते हैं कि भारत संघ द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर प्रतिज्ञात्मक रोक लागू नहीं की जा सकती है, यदि परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन होता है और व्यापक सार्वजनिक हित इस तरह की वापसी की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संशोधन को देखते हुए जी. एस. टी. का एक नया युग उभरा है। वे प्रस्तुत करते हैं कि नया युग एकीकृत संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर देता है जहां राज्य और केंद्र समान जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। विद्वान ए. एस. जी. प्रस्तुत करता है कि संविधान का अनुच्छेद 279 ए जी. एस. टी. परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी. एस. टी. परिषद में (ए) केंद्रीय वित्त मंत्री; (बी) राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री; और (सी) वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।

सरकार। उन्होंने कहा कि जी. एस. टी. परिषद को केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले करों, उपकरों और अधिभारों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें जी. एस. टी. में शामिल किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 279 ए का खंड (6) जी. एस. टी. परिषद को अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए जी. एस. टी. की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा निर्देशित करने का निर्देश देता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 246 ए के खंड (1) के तहत, संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों दोनों को संघ या ऐसे राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जबकि उक्त अनुच्छेद का खंड (2) संसद को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, जहां - 8 (1990) 3 एससीसी 87

9 (1996) 3 एस. सी. सी. 407

10 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 378 एम/एस हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

18. इसलिए, विद्वान ए. एस. जी. प्रस्तुत करेगा कि 1 जुलाई 2017 से जी. एस. टी. के आगमन के साथ एक बड़ा बदलाव आया है। पहला परिवर्तन,

विद्वान ए. एस. जी. की प्रस्तुति यह है कि पहले की कर व्यवस्था मूल आधारित थी, जबकि नई कर व्यवस्था गंतव्य आधारित है। पुरानी व्यवस्था के तहत, केंद्र 100% उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर आदि एकत्र कर रहा था और राज्य 100% मूल्य वर्धित एकत्र कर रहे थे कर (संक्षेप में "वैट")। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, राज्य शुल्कों के संबंध में कोई एकरूपता नहीं थी, जबकि नई कर व्यवस्था के तहत एकरूपता है। नई व्यवस्था के तहत, केंद्र और राज्य दोनों संविधान के अनुच्छेद 246 ए और 279 ए के तहत एक ही मंच पर आते हैं और एक साथ कर लगाने के लिए साझा भागीदार बनते हैं। नई व्यवस्था के तहत, दोनों राज्य और केंद्र समान दर पर शुल्क लेते हैं। विद्वान ए. एस. जी. प्रस्तुत करता है कि पुरानी व्यवस्था के साथ-साथ नई व्यवस्था में एकमात्र सामान्य विशेषता यह है कि केंद्र राज्यों को धन देना जारी रखता है।

19. विद्वान ए. एस. जी. ने आगे प्रस्तुत किया कि जी. एस. टी. के अधिनियमन के अनुसार, एक अधिसूचना, 2017 की अधिसूचना संख्या 21,18 जुलाई 2017 को जारी की गई थी, जिससे पूर्ववर्ती उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत दी गई छूट को वापस ले लिया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ताओं ने उक्त अधिसूचना की वैधता को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने आगे कहा कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 की उप-धारा (2) के खंड (सी) के परंतुक को देखते हुए, छूट स्वचालित रूप से रद्द हो गई। अपीलार्थियों द्वारा इसकी वैधता को भी चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि रिट याचिकाएं, उनकी वैधता को चुनौती दिए बिना, मान्य नहीं हैं।

20. विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि, हालांकि जी. एस. टी. के अधिनियमन के बाद केंद्र सरकार कोई भी अनुदान जारी रखने के लिए बाध्य नहीं थी।

हालांकि, राहत के रूप में और जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर, इसने ऐसी औद्योगिक इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए सी. जी. एस. टी. के 58 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है जो छूट का लाभ पाने के हकदार थे। अधिसूचनाएँ। उन्होंने कहा कि यह वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, जिसने केंद्र का हिस्सा 58 प्रतिशत और राज्यों का हिस्सा 42 प्रतिशत निर्धारित किया है।

21. विद्वान ए. एस. जी. प्रस्तुत करता है कि संघ के खिलाफ राहत की मांग करते हुए रिट याचिकाएं गलती से दायर की गई हैं। वह प्रस्तुत करता है कि यदि अपीलार्थियों का कोई भी दावा है, तो वह राज्य [2022] 13 एस. सी. आर. के खिलाफ होगा।

सरकार जहाँ उद्योग स्थित हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वास्तव में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 21 दिसंबर 2017 की अधिसूचना के माध्यम से पहले ही प्रतिपूर्ति करने का संकल्प लिया है। जी. एस. टी. का शेष 42 प्रतिशत राज्य में स्थित इकाइयों को तब तक दिया जाता है जब तक कि केंद्रीय योजना वैध नहीं हो जाती। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को राज्य सरकारों के खिलाफ इसी तरह की राहत की मांग करनी चाहिए थी। इस प्रकार, उनके प्रस्तुतिकरण में, भारत संघ के खिलाफ एक रिट असमर्थनीय है।

22. विद्वान ए. एस. जी. आगे प्रस्तुत करता है कि परमादेश की रिट केवल एक वैधानिक निकाय के खिलाफ जारी की जा सकती है जब यह स्थापित किया जाता है कि

इस तरह के कर्तव्य का पालन करने में लापरवाही। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता यह इंगित करने की स्थिति में नहीं हैं कि ऐसा कोई कर्तव्य संघ पर 100% जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने के लिए डाला गया है और इस तरह, वर्तमान अपीलें टिकने योग्य नहीं है।

23. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए ए. एस. जी. सीखा

प्रस्तुत किया कि भारी जनहित को देखते हुए, संघ को 2003 के उक्त ओ. एम. में दिए गए आश्वासन का पालन करने के लिए आयोजित नहीं किया जा सकता है।

24. उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान एएसजी इस पर निर्भर करता है

भारत संघ और अन्य बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत संघ और एक अन्य बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय। लिमिटेड निदेशक के माध्यम से 1 2, भारत संघ और अन्य बनाम यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज 1 3, ऑगस्टन टेक्सटाइल कलर्स लिमिटेड (अब ऑगस्टन टेक्सटाइल कलर्स प्राइवेट लिमिटेड) बनाम उद्योग निदेशक और अन्य 1 4, कुलदिप सिंह बनाम सरकार। एन. सी. टी. दिल्ली 1, भारत संघ और एक अन्य बनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी और

अन्य 1.6, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ज्ञान प्रकाश, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम के. एस. जगन्नाथन और अन्य 1 7 और भारत संघ और अन्य बनाम भारत फोर्ज लिमिटेड और अन्य 1।

11 (2022) 2 एस. सी. सी. 603 12 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 657

13 (2019) 10 एस. सी. सी. 575

14 (2022) 6 एस. सी. सी. 626

16 (2003) 5 एस. सी. सी. 437 17 (1986) 2 2022 की एस. सी. सी. 679 1 8 सिविल अपील (2021 की @एस. एल. पी. (सी) No.4960) पर 16 अगस्त, 2022 को निर्णय लिया गया।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

25. श्री एस. गणेश, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रत्युत्तर में प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान ए. एस. जी. का निवेदन कि उपाय के खिलाफ है

केंद्र के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्य किसी भी आधार से रहित हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि आश्वासन केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था न कि राज्य सरकारों द्वारा। वह प्रस्तुत करता है कि 2003 के उक्त ओ. एम. को एक व्यापारी के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए जिसे वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर से छूट" शब्दों का पूरा अर्थ दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 (2) (सी) का प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं होगा।

यदि मामले को आम व्यापारी के दृष्टिकोण से देखा जाए।

समन्वय

26. यह विवाद में नहीं है कि भारत संघ ने 2003 के उक्त ओ. एम. के माध्यम से एक नीति तैयार की थी। यह भी विवाद में नहीं है कि, उक्त

नीति, केंद्र सरकार ने प्रावधान किया था कि औद्योगिक इकाइयों को उस तारीख से 10 साल के लिए एकमुश्त उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी जिस दिन ऐसी औद्योगिक इकाइयां अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेंगी। प्रोत्साहन नई औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर लागू होते हैं जो पर्याप्त विस्तार के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 2003 के उक्त ओ. एम. के अनुसार, संस्थाओं को एक स्पष्ट वादा किया गया था कि यदि वे एक नई औद्योगिक इकाई स्थापित करते हैं या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अपनी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का पर्याप्त विस्तार करते हैं, तो वे कर छूट के हकदार होंगे।

27. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, बाद में, एक महत्वपूर्ण विकास

हुआ था। 101 वें संशोधन अधिनियम द्वारा, पहले की कराधान व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया। पूरे देश में एक समान कर संरचना को अपनाया गया है। जी. एस. टी. परिषद का गठन किया गया है, जिसे जी. एस. टी. के संबंध में केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने का अधिकार है। संघ और सभी राज्य आम हो गए हैं। विभिन्न करों के उद्ग्रहण में भागीदार। 101 वें संशोधन को प्रभावी बनाना

अधिनियम, सी. जी. एस. टी. अधिनियम लागू किया गया है।

28. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 174. निरस्त करें और बचत करें। (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (वस्तुओं के संबंध को छोड़कर)

संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 84 में शामिल), औषधीय और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क [2022] 13 एस. सी. आर.

शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16), उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58), उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (कपड़ा और कपड़ा वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिसे इसके बाद निरस्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है) इसके अंतर्गत आते हैं। निरस्त कर दिया।

(2) उक्त अधिनियमों का निरसन और संशोधन

वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (इसके बाद "ऐसा संशोधन" या "संशोधित अधिनियम" के रूप में संदर्भित, जैसा भी मामला हो) उप-धारा (1) या धारा 173 में उल्लिखित सीमा तक नहीं होगा।

(ए)।

(बी)।

(ग) संशोधित अधिनियम या निरस्त के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है।

ऐसे निरस्त या संशोधित अधिनियमों के तहत अधिनियम या आदेशः

बशर्ते कि अधिसूचना के माध्यम से निवेश के खिलाफ प्रोत्साहन के रूप में दी गई कोई भी कर छूट नहीं होगी

विशेषाधिकार के रूप में जारी रखें यदि उक्त अधिसूचना नियत दिन या उसके बाद रद्द कर दी जाती है; या

29. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि धारा 174 के खंड (1) के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 सहित विभिन्न अधिनियमों को निरस्त कर दिया जाता है। हालाँकि, धारा 174 की उप-धारा (2) के खंड (सी) में यह प्रावधान है कि उक्त अधिनियमों का निरसन संशोधित अधिनियम या ऐसे निरस्त या संशोधित अधिनियमों के तहत निरस्त अधिनियमों या आदेशों के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि, इसका प्रावधान स्पष्ट और विशिष्ट है। यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि निवेश के खिलाफ प्रोत्साहन के रूप में दी गई कोई भी कर छूट

यदि उक्त अधिसूचना को नियत दिन या उसके बाद रद्द कर दिया जाता है तो अधिसूचना एक विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी।

30. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यद्यपि धारा 174 की उप-धारा (2) के खंड (ग) का पहला भाग संशोधित अधिनियम या निरस्त अधिनियमों के तहत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व आदि की रक्षा करेगा, लेकिन इसके लिए परंतुक में प्रावधान किया गया है

कि निवेश के खिलाफ प्रोत्साहन के रूप में दी गई कोई भी कर छूट एक विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी यदि उक्त अधिसूचना को नियत दिन या उसके बाद रद्द कर दिया जाता है। मान लीजिए, 18 जुलाई 2017 की अधिसूचना No.21/2017 के अनुसार, पहले की विभिन्न क्षेत्र-आधारित छूट अधिसूचनाएं मैसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड रही हैं।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

निरस्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2003 की अधिसूचना के तहत दिया गया लाभ सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 की उप-धारा (2) के खंड (सी) के प्रावधान के तहत जारी अधिसूचना को देखते हुए रद्द कर दिया गया है।

31. इसलिए, जो प्रश्न विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या, बाद के क़ानून में विशेष रूप से प्रावधान किए जाने के बावजूद

एक पूर्व कानून के तहत दिए गए लाभों को रद्द करते हुए, संघ सरकार को पहले की अधिसूचना के माध्यम से किए गए अभ्यावेदन के साथ खड़े होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत किसी क़ानून के खिलाफ काम कर सकता है।

न्यायिक भविष्यवाणियाँ

32. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए, यह भी आवश्यक होगा

इस मुद्दे पर इस न्यायालय की पहले की विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं का उल्लेख करना।

33. भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भारी निर्भरता रखी गई है। बनाम मेसर्स इंडो-अफगान एजेंसीज लिमिटेड ",

जो इस न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों में से एक है, जिसमें वचन रद्द करने के मुद्दे पर विचार किया गया है। उक्त मामले में, वस्त्र आयुक्त 10 अक्टूबर 1962 को एक योजना प्रकाशित की, जिसे निर्यात संवर्धन योजना कहा जाता है जो ऊनी वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना को 1 जनवरी 1963 को एक व्यापार सूचना द्वारा निर्यात के लिए बढ़ाया गया था।

अफगानिस्तान के लिए ऊनी सामान। उक्त योजना के अनुसरण में, निर्यातक कुल बराबर राशि के कच्चे माल का आयात करने के हकदार थे

उनके निर्यात के एफ. ओ. बी. (जहाज पर माल ढुलाई) मूल्य के <आई. डी. 1. हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने भारतीयों को एक आयात पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया

अफगान एजेंसियां लिमिटेड केवल आंशिक रूप से। इसलिए, इंडो-अफगान एजेंसीज लिमिटेड ने अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया। अधिकारियों द्वारा जवाब देने में विफल रहने पर, पंजाब उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्यात संवर्धन योजना

विशेष रूप से "निर्यात की गई वस्तुओं के एफ. ओ. बी. मूल्य के 100% के बराबर मूल्य" की आयात सामग्री को प्रमाण पत्र देने के लिए प्रावधान किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें याचिकाकर्ता एफ. ओ. बी. मूल्य के 100% के बराबर राशि के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार थे। उच्च न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक था

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। इस न्यायालय ने प्रोमिसरी एस्टोपल के मुद्दे पर भी विचार किया। इस न्यायालय ने कहाः

" 15. इन मामलों में यह स्पष्ट रूप से निर्णय दिया गया था कि जहां किसी व्यक्ति ने निर्यात संवर्धन योजना में किए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई की है कि निर्यात किए गए माल के मूल्य तक आयात लाइसेंस जारी किए जाएंगे, और माल का निर्यात किया होगा, तो योजना द्वारा अनुमत अधिकतम मूल्य के लिए आयात लाइसेंस के लिए उसके दावे को मनमाने ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता है। आयात प्रमाणपत्र की राशि में कमी निर्यात की गई वस्तुओं के संबंध में निर्यातक के कदाचार के आधार पर, या विशेष विचारों जैसे कि कठिन विदेशी मुद्रा स्थिति, या अन्य मामलों पर न्यायसंगत हो सकती है जिनका राज्य के सामान्य हितों पर असर पड़ता है। वर्तमान मामले में, योजना में निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य तक नहीं, बल्कि मूल्य की आयात पात्रता प्रदान करने का प्रावधान है। इसलिए, कपड़ा आयुक्त को सामान्य रूप से आवश्यक था - निर्यात
की गई वस्तुओं के पूर्ण मूल्य के लिए आयात प्रमाण पत्र प्रदान करनाः वह जांच के बाद ही उस राशि को कम कर सकता था।

योजना का खंड 10 "।

34. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मैसर्स इंडो-अफगान एजेंसीज लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में जो मुद्दा विचार के लिए आया था, वह निर्यात संवर्धन योजना के विपरीत रिट याचिकाकर्ता के दावे में मनमाने ढंग से कमी के संबंध में था। यह मुद्दा कि क्या बाद के अधिनियम द्वारा विधानमंडल पिछली योजना के तहत दिए गए लाभ को वापस लेने का हकदार था, उक्त मामले में विचार के लिए नहीं आया।

35. सेंचुरी स्पिनिंग के मामले में यह न्यायालय और

नगर परिषद और अन्य 20 ने इस मुद्दे पर विचार किया जिसमें नगर पालिका अपीलार्थी को चुंगी लगाने की तारीख से 7 साल के लिए चुंगी शुल्क के भुगतान से छूट देने पर सहमत हो गई थी। हालाँकि, इसके बाद, नगर पालिका ने उसमें अपीलार्थी से चुंबक शुल्क लगाने की मांग की। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 12. यदि हमारे नवजात लोकतंत्र को लोगों और सार्वजनिक निकायों के लिए आचरण के विभिन्न मानकों को बढ़ावा देना है, तो आम तौर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक सार्वजनिक निकाय, हमारे निर्णय में, उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदनों से उत्पन्न होने वाले अपने दायित्व को पूरा करने के दायित्व से मुक्त नहीं है, जिसके आधार पर एक नागरिक ने अपनी स्थिति को बदल दिया है।

20 (1970) 1 एस. सी. सी. 582 एम/एस हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

36. एम के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ।

रामनाथ पिल्लई बनाम। केरल राज्य और अन्य 2 1 पर विचार किया गया यह प्रश्न कि क्या पदों के उन्मूलन के संबंध में किसी राज्य के खिलाफ बहिष्कार उत्पन्न हो सकता है। संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

पद के उन्मूलन के संबंध में राज्य के खिलाफ उत्पन्न होता है। अपीलार्थी रामनाथ पिल्लई को पता था कि यह पद अस्थायी है। अमेरिका में

पी पर न्यायशास्त्र 2 डी। 783 पैरा 123 में कहा गया है "आम तौर पर, ए

राज्य उसी हद तक रोक के अधीन नहीं है जिस हद तक व्यक्तिगत या निजी निगम। अन्यथा, यह प्रस्तुत किया जा सकता है

सरकार में अपनी शक्तियों का दावा करने में असहाय। अतः ए

सामान्य नियम-विरोध का सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा।

राज्य के खिलाफ अपनी सरकारी, सार्वजनिक या संप्रभुता में

क्षमता। एक अपवाद हालांकि आवेदन में उत्पन्न होता है

प्रकट अन्याय "। अपीलार्थी द्वारा आरोपित बहिष्कार रामनाथ पिल्लई इस आधार पर थे कि उन्होंने एक

समझौता किया और इस तरह अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया। द. उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के संचालन को बाहर रखा गया है

जिसे रोकने का अनुरोध किया गया है, उसके खिलाफ जनता का कर्तव्य है जिन पर रोक लगाने वाला निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकता।

[जोर दिया गया]

37. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि संविधान पीठ ने

अमेरिकी न्यायशास्त्र में इस कथन को मंजूरी दी गई कि राज्य के खिलाफ उसकी सरकारी, सार्वजनिक या संप्रभु क्षमता में बहिष्कार का सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा। तथापि, उक्त सिद्धांत को राज्य में लागू करने के लिए एक अपवाद उत्पन्न होगा जहां यह आवश्यक है - धोखाधड़ी या प्रकट अन्याय को रोकें।

38. राज्य के मामले में इस न्यायालय की एक और संविधान पीठ

केरल और एक अन्य बनाम। ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (डब्ल्यूवीजी)। कं. लिमिटेड Etc.22 वादा रोक के आवेदन के रूप में एक मुद्दे पर विचार कर रहा था जब पहले के क़ानून में प्रदान की गई वन भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का अधिकार बाद के क़ानून द्वारा छीन लिया गया था। संविधान पीठ ने इस प्रकार निर्णय दियाः

21 (1973) 2 एससीसी 650

22 (1973) 2 एससीसी 713 [2022] 13 एस. सी. आर.

" 38. यह दिखाने के प्रयास में कि विवादित अधिनियम एक रंगीन कानून था, 1968 के कराला निजी वन अधिग्रहण विधेयक, 1968 एल. ए. विधेयक संख्या 33 का संदर्भ दिया गया था, जिसमें मुआवजे के भुगतान पर निजी वनों के अधिग्रहण का प्रावधान था। अधिग्रहण के लिए। यह तर्क दिया जाता है कि उस विधेयक को समाप्त होने दिया गया था और वर्तमान अधिनियम को स्पष्ट रूप से अधिनियमित किया गया था

बिना भुगतान किए विशाल वन भूमि को जब्त करने का इरादा

क्षतिपूर्ति। हम शायद ही इस तरह के तर्क को स्वीकार कर सकते हैं। सवाल वास्तव में, पहली बात, विवादित अधिनियम को पारित करने के लिए विधायिका की क्षमता का है और दूसरी बात यह है कि क्या अधिनियम इस अर्थ में संवैधानिक है कि यह धारा द्वारा संरक्षित है। 31 - ए (1)। जहाँ तक विधायिका की क्षमता का सवाल है, हमारे सामने कोई आपत्ति नहीं की जाती है। जहां तक इसकी संवैधानिकता का सवाल है, हमने दिखाया है कि यह अधिनियम कृषि सुधार के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में सरकार में वनों पर जनमान अधिकारों का विस्तार करता है। यदि यह संवैधानिक रूप से विधायिका द्वारा किया जा सकता है, तो तथ्य यह है कि पहले के चरण में सरकार निजी क्षेत्र के मालिकों को मुआवजा देने का विचार कर रही थी।

वनों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। विवादित अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, वन भूमि का वितरण करना है

कृषि समुदाय के लाभ के लिए वनों के कुछ हिस्सों का आरक्षण करने के बाद कृषि उद्देश्यों के लिए। आशंका व्यक्त की जाती है कि यदि इस तरह के पाठ्यक्रम को वास्तव में लागू किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो सकती है, जिससे मिट्टी का कटाव हो सकता है और नदियों और धाराओं में गाद जमा हो सकती है और वास्तव में बन जाएगी।

वनों की कटाई के संभावित नुकसान के खिलाफ अधिनियम में परिकल्पना की गई है। ऐसे कई अभेद्य हैं जिनके लिए हमारे पास कोई सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं है। यह माना जाता है कि विधायिका को पता है कि अपने लोगों की आवश्यकताएँ और वर्तमान लाभों को संतुलित करेंगे।

संभावित भविष्य के नुकसान के खिलाफ। अगर कोई दबाव है

भूमि और विधायिका को लगता है कि कुछ क्षेत्रों में वन भूमि सुविधाजनक हो सकती है और समग्र रूप से समुदाय को बहुत नुकसान पहुंचाए बिना, कृषि आबादी के एक बड़े हिस्से को बसाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, यह संवैधानिक शक्तियों मेसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के तहत पूरी तरह से खुला है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

विधायिका में निहित, एक उपयुक्त कानून बनाने के लिए, और यदि कानून है संवैधानिक रूप से वैध यह न्यायालय शायद ही इसे खारिज कर सकता है

इस आधार पर कि लंबे समय में कानून बनने के बजाय एक वरदान होना एक अभिशाप बन जाएगा।

39. श्री मेनन जो सिविल अपील में प्रतिवादी की ओर से पेश हुए

अपनी ग्राहक कंपनी के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने केरल में रेयॉन कपड़े के गूदे के उत्पादन के लिए

यह समझते हुए कि सरकार आपूर्ति करने के लिए खुद को बाध्य करेगी

कच्चा माल। बाद में सरकार सामग्री की आपूर्ति करने में असमर्थ रही।

और अधिग्रहण के लिए कानून नहीं बनाने के लिए किए गए समझौते द्वारा

60 वर्ष की अवधि के लिए निजी वनों का, यदि कंपनी खरीदती है। कच्चे माल की आपूर्ति के उद्देश्य से वन भूमि।

तदनुसार, कंपनी ने 30,000 एकड़ निजी भूमि खरीदी। नीलाम्बुरी कोविला कन्नन एस्टेट से 75 लाख रुपये में वन

और, इसलिए, यह तर्क दिया गया था कि, जहाँ तक कंपनी है

राज्य के खिलाफ न्यायसंगत विरोध। हम नहीं देखते कि कैसे सरकार का समझौता इस पर कानून बनाने से रोक सकता है

विषय। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि सरकार द्वारा अपनी विधायी शक्तियों का समर्पण

सार्वजनिक भलाई के लिए उपयोग किया जाने वाला कंपनी का लाभ नहीं उठा सकता है या संचालन नहीं कर सकता है

सरकार के खिलाफ न्यायसंगत अवरोध के रूप में "।

[जोर दिया गया]

39. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अनुमित है

कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को जानती है और भविष्य के संभावित नुकसानों के खिलाफ वर्तमान लाभों को संतुलित करेगी। यह हो चुका है

संसद द्वारा वैध रूप से अधिनियमित। यह भी आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता कंपनी ने राज्य सरकार के समझौते के आधार पर कि वह 60 वर्षों तक वन भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कानून नहीं बनाएगी, 30,000 एकड़ निजी भूमि खरीदी थी। यह प्रस्तुत किया गया था इसमें न्यायसंगत बहिष्कार के सिद्धांत को लागू करते हुए, सरकार को समझौते के विपरीत कानून बनाने से रोक दिया गया था। उक्त तर्क को नकारते हुए, यह माना गया कि जब विधायिका [2022] 13 एस. सी. आर.

सार्वजनिक भलाई के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पहले का प्रतिनिधित्व सरकार के खिलाफ न्यायसंगत अवरोध के रूप में काम नहीं करेगा।

40. आबकारी के मामले में इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ

आयुक्त, यू. आई. पी. इलाहाबाद और अन्य बनाम। राम कुमार और अन्य 23 ने इस मुद्दे पर विचार किया था, जिसमें नीलामी के समय, सरकार द्वारा देशी शराब बेचने के लिए बेचे गए लाइसेंसों को बिक्री कर से छूट दी गई थी। हालाँकि, बाद की अधिसूचना द्वारा, देशी शराब की बिक्री पर बिक्री कर लगाया गया था। इस न्यायालय ने विशेष रूप से इस तर्क को खारिज कर दिया कि राज्य को ऐसा करने से रोक दिया गया था। इस न्यायालय ने एम. रामनाथ पिल्लई (उपरोक्त) और द ग्वालियर रेयॉन सिल्क के मामलों में पहले के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

विनिर्माण (डब्ल्यू. वी. जी.)। कं. लि. आदि। (ऊपर)। इसने माना कि सरकार के एक अधिकारी द्वारा क्राउन द्वारा या उसकी ओर से दिया गया आश्वासन, पदानुक्रम में चाहे वह कितना भी उच्च या निम्न क्यों न हो, क्राउन को वैधानिक निषेध लागू करने से नहीं रोक सकता है। इसने इस कानूनी स्थिति को दोहराया कि रोक सरकार या उसके समनुदेशिती के खिलाफ काम नहीं करती है।

41. बिहार पूर्वी गंगा मछुआरा कंपनी के मामले में

ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम सिपाही सिंह और अन्य 24, राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि जलकर का समझौता सिपाही सिंह के साथ वर्षों 1976-77 और 1977-78 के लिए जारी रहेगा। हालांकि, बिहार पूर्वी गंगा मछुआरा कंपनी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर

ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि जलकर का निपटान कुछ शर्तों पर संबंधित वर्षों के लिए उक्त सोसायटी के पास होगा। सिपाही सिंह ने एक रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने वादा रद्द करने के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए अनुमति दी। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 13. प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत को भी दबाया नहीं जा सका वर्तमान मामले में सेवा में, क्योंकि यह अच्छी तरह से तय है कि वहाँ

अभ्यास में सरकार के खिलाफ कोई अवरोध नहीं हो सकता है इसके संप्रभु विधायी और कार्यकारी कार्यों का। (एक्साइज देखें

आयुक्त, यू. पी. इलाहाबाद बनाम राम कुमार [(1976) 3 एससीसी

540 : 1976 एस. सी. सी. (कर) 360: ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2237])।

[जोर दिया गया]

23 (1976) 3 एससीसी 540 24 (1977) 4 एससीसी 145 एम/एस हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिहार पूर्वी गंगा मछुआरे

को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (उपरोक्त) यह अभिनिर्धारित करने का भी एक प्राधिकरण है कि सरकार के संप्रभु, विधायी और कार्यकारी कार्यों के प्रयोग में कोई बाधा नहीं हो सकती है। उक्त मामले में, मेसर्स इंडो-अफगान एजेंसीज लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले को लागू किया गया था। उसी को अलग करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 14. भारत संघ बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। हिन्द-अफगान एजेंसीज लिमिटेड [ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 718: (1968) 2 एससीआर 366: (1968) 2

एस. सी. जे. 889] जिस पर वकील द्वारा मजबूत निर्भरता रखी गई है उत्तरदाता 1 स्पष्ट रूप से विभेदक है। उस मामले में, इसके विपरीत

वर्तमान में, उत्तरदाता किसी को भी लागू करने की मांग नहीं कर रहे थे

संविदात्मक अधिकार वे केवल अनुपालन लागू करने की मांग कर रहे थे

उस दायित्व के साथ जो वस्त्र आयुक्त पर निर्धारित किया गया था

अनुदान प्रदान करने वाली निर्यात संवर्धन योजना की शर्तों के अनुसार

इक्विटी पर स्थापित किया गया था जो एक के रूप में उनके पक्ष में उत्पन्न हुआ था सरकार की ओर से किए गए अभ्यावेदन का परिणाम

उपरोक्त योजना में, ऊनी वस्तुओं का निर्यात किया गया

वस्त्र द्वारा आयात अधिकार में कटौती उन्हें बिना किसी सूचना के आयुक्त।

[जोर दिया गया]

43. तत्पश्चात, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने

मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 25 ने फिर से बहिष्कार के मुद्दे पर विचार किया। उक्त मामले में, राज्य सरकार ने प्रतिनिधित्व किया था कि नई औद्योगिक इकाइयों को बिक्री कर से छूट दी जाएगी। राज्य सरकार के आश्वासन के आधार पर, उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने अपनी औद्योगिक इकाई की स्थापना की थी। हालांकि, बाद में सरकार ने उक्त रियायत को रद्द करने का फैसला किया। यद्यपि इस न्यायालय ने उक्त मामले के तथ्यों में यह अभिनिर्धारित किया कि उसमें अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा किए गए वादे के आधार पर अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया

था और इस प्रकार, राज्य उक्त वादे से पीछे नहीं हट सकता, इस प्रकार की अपील को अनुमति देते हुएः
25 (1979) 2 एससीसी 409 [2022] 13 एस. सी. आर.

" 28. ..... इसके खिलाफ कोई वचन बहिष्कार भी नहीं हो सकता है।

आश्रय द्वारा अपने विधायी कार्य का प्रयोग करने से वंचित किया जाए प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत के लिए। केरल राज्य बनाम।

ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड [(1973) 2 एससीसी 713 , 730 (पैरा 39): (1974) 1 एससीआर 671,688] "

[जोर दिया गया]

44. इसके बाद इस मामले में इस न्यायालय का निर्णय आता है

मेसर्स जीत राम शिव कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 26. उक्त मामले में, नगरपालिका समिति ने एक छोटी मंडी की स्थापना की और निर्णय लिया कि मंडी में बिक्री के लिए भूखंडों के खरीदारों को उक्त मंडी के भीतर आयातित वस्तुओं पर चुंगी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद, नगरपालिका समिति ने चुंगी शुल्क लगाना शुरू कर दिया। नगरपालिका समिति के उक्त कार्य को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। उक्त मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों के न्यायालयों के निर्णयों के साथ-साथ पहले के समय में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 40. प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत की दलील का दायरा

सरकार के खिलाफ सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः (1) प्रोमिसरी एस्टोपल की याचिका इसके खिलाफ उपलब्ध नहीं है।

राज्य के विधायी कार्यों का प्रयोग।

(2) इस सिद्धांत को सरकार को रोकने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। कानून के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने से।

(3) जब सरकार का अधिकारी इसके दायरे से बाहर काम करता है

एक योजना और एक समझौता करता है और एक बनाता है प्रतिनिधित्व और उस प्रतिनिधित्व पर कार्य करने वाला व्यक्ति रखता है

स्वयं एक प्रतिकूल स्थिति में, न्यायालय की माँग करने का अधिकार है

योजना और समझौते के अनुसार कार्य करने वाला अधिकारी या

प्रतिनिधित्व। अधिकारी मनमाने ढंग से अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। और कुछ अनिर्धारित और अज्ञात आधारों पर अपने वादे की अनदेखी करते हैं।

26 (1981) 1 एस. सी. सी. 11 एम/एस हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

आवश्यकता या स्थितियों को व्यक्ति के पूर्वाग्रह में बदलना

जिसने इस तरह के प्रतिनिधित्व पर काम किया था और खुद को एक में रखा था

प्रतिकूल स्थिति।

(5) अधिकारी की शर्तों को बदलना उचित होगा

विशेष पर दूसरे पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए लालच

कठिन विदेशी मुद्रा स्थिति या अन्य विचार

ऐसे मामले जिनका राज्य के सामान्य हित से संबंध हो। ”

[जोर दिया गया]

45. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि

राज्य के विधायी कार्यों के प्रयोग के विरुद्ध प्रतिभूति रोक उपलब्ध नहीं होगी। समान रूप से, इसे सरकार को कानून के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

मैसर्स जीत राम शिव कुमार और अन्य (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की कुछ टिप्पणियां इस न्यायालय की बड़ी पीठों के पहले के फैसलों के अनुरूप नहीं थीं, इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 45. हम खुद को इसके तीन फैसलों को नजरअंदाज करने में असमर्थ पाते हैं। न्यायालय, एम. रामनाथ पिल्लई बनाम में संविधान पीठ द्वारा दो।

केरल राज्य [(1973) 2 एससीसी 650: 1973 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 560: एयर

1973 एससी 2641: (1974) 1 एस. सी. आर. 515] और केरल राज्य बनाम। ग्वालियर

रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी. (डब्ल्यूवीजी.) कं. लिमिटेड [(1973) 2 एस. सी. सी. 713: आकाशवाणी 1973

एससी 2734: (1974) 1 एस. सी. आर. 671] और चार की पीठ द्वारा तीसरा

आबकारी आयोग में इस न्यायालय के न्यायाधीश। , यू. पी., इलाहाबाद बनाम राम। कुमार [(1976) 3 एससीसी 540: 1976 एस. सी. सी. (कर) 360: 1976 सप्लीमेंट

एस. सी. आर. 532] इस आधार पर कि अवलोकन की प्रकृति में हैं

आज्ञाकारी आदेश और यह कि इसे रखने के इरादे के रूप में जोर नहीं दिया जा सकता है

में प्रतिपादित विधि से भिन्न विधि का कोई प्रस्ताव

भारत-अफगान एजेंसियों का मामला [ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 718 (1968) 2 एस. सी. आर.

366 : (1968) 2 एससीजे 889]। इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं था

भारत संघ को संदर्भित करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट मामले v. इंडो

अफगान एजेंसियां लिमिटेड [ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 718: (1968) 2 एससीआर 366:

(1968) 2 एस. सी. जे. 889] के लिए, यदि ठीक से समझा जाता है, तो यह केवल यह माना जाता है कि

प्राधिकरण मनमाने ढंग से या उसके समझौते पर वापस नहीं जा सकता है।

बस सनक। हम महसूस करते हैं कि हम निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं इस न्यायालय की तीन पीठें जो हमारी सम्मानजनक राय में हैं

कानून ने सही कहा। हम मामले को पढ़ने में भी असमर्थ हैं हावेल बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फालमाउथ नाव निर्माण [2022] 13 एस. सी. आर.

कं. लिमिटेड [1951 एसी 837: (1951) 2 सभी ईआर 278: (1951) 2 टी. एल. आर. 151] के रूप में डेनिंग, जे के दृष्टिकोण को खारिज नहीं किया है, और के रूप में नहीं है

रॉबर्टसन बनाम। पेंशन मंत्री [(1949) 1 KB 227: (1948) 2 सभी ई. आर. 767: 1949 एलजेआर 323] कि "क्राउन से बच नहीं सकता है

प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत के तहत दायित्व "।

46. हम स्वयं को विद्वानों के दृष्टिकोण को साझा करने में असमर्थ पाते हैं।

न्याय करें कि रामनाथ में इस न्यायालय की संविधान पीठ

पिल्लई मामला [(1973) 2 एस. सी. सी. 650: 1973 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 560: आकाशवाणी 1973

एस. सी. 2641 (1974) 1 एस. सी. आर. 515] उद्धरण पर बहुत अधिक निर्भर था।

एक बार फिर हम टिप्पणी करते हैं कि "दुर्भाग्य से यह उद्धरण था अधूरा और शायद अनजाने में अनदेखा कर दिया गया था

अनुचित।

(जोर दिया गया) "

46. उक्त मामले में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को इस प्रकार दोहरायाः

" 51. इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने पर यह है -

यह स्पष्ट करें कि इसके खिलाफ कोई वादा नहीं किया जा सकता है

राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग। तो भी सिद्धांत सरकार को कार्रवाई करने से रोकने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है

कानून के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन। सरकार ऐसा नहीं करेगी।

इसके अधिकारियों और एजेंटों के कार्य से बाध्य होना जो इससे परे कार्य करते हैं

सरकार को अपनी सीमाओं का संज्ञान लेना चाहिए। प्राधिकरण, न्यायालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनुपालन को लागू कर सकता है

उस पर निर्धारित दायित्व का, यदि वह मनमाने ढंग से या केवल अपनी सनक पर

यह प्राधिकरण के लिए अनुरोध करने और यह साबित करने के लिए खुला होगा कि वहाँ विशेष विचार थे जिनके कारण उनके सक्षम नहीं होने की आवश्यकता थी

जनहित में अपने दायित्वों का पालन करना।

[जोर दिया गया]

47. संघ के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ और अन्य बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 27 '7 ने टिप्पणी की

मेसर्स जीत राम शिव कुमार के मामले में निर्णय की गंभीरता

अन्य (ऊपर) और इस प्रकार देखेः

5) 4 एस. सी. सी. 369 'एस हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

" 13. बेशक हमें इसे स्पष्ट करना चाहिए, और यह भी निर्धारित किया गया है

मोतीलाल चीनी मिल मामले में [(1979) 2 एस. सी. सी. 409: 1979 एससीसी

(कर) 144: (1979) 2 एस. सी. आर. 641] कि कोई वचन नहीं हो सकता है अपने विधान के अभ्यास में विधानमंडल के खिलाफ विरोध

कार्य और न ही सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण हो सकते हैं

एक सांविधिक लागू करने से प्रोमिसरी एस्टोपल द्वारा प्रतिबंधित

निषेध। यह भी उतना ही सच है कि वादा रद्द नहीं किया जा सकता है

सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए उपयोग किया जाता है

एक प्रतिनिधित्व या वादा जो कानून के विपरीत है या जो

सरकार के अधिकारी के अधिकार या शक्ति से बाहर था

या बनाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का। हम यह भी बता सकते हैं कि प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत होने के कारण, इसे होना चाहिए

जब इक्विटी की आवश्यकता होती है तो उपज; यदि इसे इसके द्वारा दिखाया जा सकता है

सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण जो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हस्तक्षेप किया है, सरकार को पकड़ना असमान होगा

या उसके द्वारा किए गए वादे या प्रतिनिधित्व के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण,

या सार्वजनिक प्राधिकरण को वादे से बंधा होना चाहिए या उसके द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व। इस पहलू को पूरी तरह से निपटाया गया है

मोतीलाल शुगर मिल्स मामला [(1979) 2 एस. सी. सी. 409: 1979 एससीसी (कर)

144 : (1979) 2 एस. सी. आर. 641] और हम पूरी तरह से सहमत हैं

इस मुद्दे पर उस निर्णय में क्या कहा गया है "।

[जोर दिया गया]

48. थोड़े ही समय में इस न्यायालय की तीन और न्यायाधीशों की पीठ

एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट का मामला। लिमिटेड और अन्य बनाम यूनियन ऑफ

और अन्य 28 मोतीलाल के मामले के बीच संघर्ष का उल्लेख करते हुए

एमपाट शुगर मिल्स कं. लिमिटेड और मेसर्स जीत राम शिव का मामलाआर और अन्य (ऊपर), इस प्रकार देखे गए:

" 182. मैं इस बात से बेखबर नहीं हूं कि एक असंगत नोट मारा गया था

कैलाशम, जे. स्पीकिंग फॉर सेल्फ और फजल अली, जे. इन जीत राम

शिव कुमार बनाम। हरियाणा राज्य (1981) 1 एस. सी. सी. 11: आकाशवाणी 1980

एस. सी. 1285 (1980) 3 एस. सी. आर. 689] ने माना कि

183. इस निर्णय के प्रयोजनों के लिए न्यायमूर्ति भगवती के निर्णय के बीच स्पष्ट संघर्ष को हल करना आवश्यक नहीं है। मोतीलाल पदमपत चीनी मिल मामला [(1979) 2 एस. सी. आर. 641: (1979) 2 एससीसी 409: 1979 एस. सी. सी. (कर) 144] सरकार को रोकने के लिए रोक के सिद्धांत की प्रयोज्यता के बारे में

कानून के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करना। सार्वजनिक कानून में, रोक की सबसे स्पष्ट सीमा और सिद्धांत यह है कि इसे इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता है ताकि एक प्रबल शक्ति दी जा सके जो कानून में उसके पास नहीं है। दूसरे शब्दों में, कोई भी अवरोध वैध कार्रवाई नहीं कर सकता है जो अधिकार से परे है। एक और सीमा यह है कि रोक का सिद्धांत ऐसा करता है।

सरकारी नीति के स्तर पर काम नहीं करता है। तथापि, अनाधिकारिकों को औपचारिकता के छोटे मामलों में सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति दी गई है जहां अति अधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता हैः वेडः प्रशासनिक कानून, पाँचवाँ संस्करण, पीपी। 233-34 . 184. मैरीटाइम एलेक में निर्धारित सिद्धांत। को. वी. जनरल डेयरीज लिमिटेड [1937 ए. सी. 610 (पी. सी.)] और लॉर्ड पार्कर, सी. जे. द्वारा साउथेंड में-ऑन-सी कॉर्पोरेशन बनाम। हॉजसन (विकफोर्ड) लिमिटेड [(962) 1 क्यू. बी. 416] प्रत्यर्थी 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया भारत संघ स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आकर्षित नहीं है। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्री ने एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टेदार यानी भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय की अनुमति देने में अपने अधिकार के दायरे में काम किया। लिमिटेड अनुच्छेद 77 (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कार्य नियमों के तहत हिंदी समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के लिए दोहरे तहखाने के साथ 360 के बढ़े हुए एफ. ए. आर. के साथ नए एक्सप्रेस भवन का निर्माण करेगी। इसलिए, पराधिकार का सिद्धांत अमल में नहीं आता है।

इसे ध्यान में रखते हुए

प्रत्यर्थी 1 भारत संघ को इस तरह की अनुमति देने में मंत्री के अधिकार पर सवाल उठाने से रोक दिया गया है। उस दृष्टिकोण से, उत्तराधिकारी एम/एस हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

सरकार स्पष्ट रूप से द्वारा लिए गए निर्णय से बाध्य थी मंत्री विशेष रूप से जब इस पर कार्रवाई की गई थी।

[जोर दिया गया]

49. एक्सप्रेस के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

समाचार पत्र प्रा. लिमिटेड और अन्य (ऊपर दिए गए) ने माना कि कोई भी रोक-टोक कार्रवाई को वैध नहीं बना सकता है जो अधिकार से बाहर है। यह आगे माना गया कि एक और सीमा यह है कि रोक का सिद्धांत इस स्तर पर काम नहीं करता है

सरकारी नीति। उक्त मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अति अधिकार का सिद्धांत उक्त मामले में लागू नहीं हुआ था। इसने अभिनिर्धारित किया कि तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्री द्वारा दी गई अनुमति को देखते हुए, प्रत्यर्थी-भारत संघ को इसकी वैधता पर सवाल उठाने से रोक दिया गया था। उत्तराधिकारी सरकार मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय से बाध्य थी, विशेष रूप से जब उस पर कार्रवाई की गई थी।

50. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि निर्णयों में कुछ विसंगति है

एक ओर मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड (ऊपर) और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर) के मामलों में और दूसरी ओर मैसर्स जीत राम शिव कुमार और अन्य (ऊपर) के मामलों में।

51. यह न्यायालय मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी के मामले में है।

लिमिटेड (उपर्युक्त) का मानना है कि यदि किसी सरकार द्वारा किए गए वादे के आधार पर कोई संस्था अपनी कानूनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदलती है, तो राज्य

उक्त वादे से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त निर्णय न्यायमूर्ति भगवती द्वारा लिखा गया है और पीठ में दो विद्वान न्यायाधीश हैं।

52. दो साल की अवधि के भीतर, एम/एस के मामले में जे. कैलासम

जीत राम शिव कुमार और अन्य (ऊपर) ने मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में की गई कुछ टिप्पणियों में गलती पाई और कहा कि मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में की गई टिप्पणियां एम. रामनाथ पिल्लई (ऊपर) और द ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (डब्ल्यूवीजी) के मामलों में संविधान पीठ के फैसलों के अनुरूप नहीं थीं। कं. लि. आदि।

(ऊपर); और इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय राम कुमार और अन्य का मामला (ऊपर)।

53. मेसर्स जीत राम शिव के मामले में इस अदालत का फैसला

कुमार और अन्य (ऊपर) फिर से गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए गिर गए, जिसे फिर से भगवती, जे. द्वारा गॉडफ्रे [2022] 13 एस. सी. आर. के मामले में लिखा गया है।

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर), न्यायमूर्ति भगवती के माध्यम से दिए गए तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कहा गया है कि मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में विद्वान दो न्यायाधीशों द्वारा जो निर्णय दिया गया है, वह सही है और उक्त फैसले का समर्थन करता है। उक्त निर्णय मैसर्स जीत राम शिव कुमार और अन्य (ऊपर) में लिए गए दृष्टिकोण की भी आलोचना करता है। थोड़े ही समय में यह मुद्दा एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष फिर से विचार के लिए आता है। लिमिटेड और अन्य (ऊपर)। ए. पी. सेन, जे. ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी में जे. भगवती द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के बीच संघर्ष को नोट किया। मेसर्स जीत राम शिव कुमार और अन्य (सुप्रा) के मामले में लिमिटेड (सुप्रा) और जे. कैलासम। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि फैसला उस तारीख से एक पखवाड़े के भीतर दिया गया था जिस दिन गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर) का फैसला लिया गया था, इसलिए यह अदालत एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट के मामले में है। लिमिटेड और अन्य (ऊपर) ने गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर) के मामले में फैसले पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि, एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट में ए. पी. सेन, जे। लिमिटेड और अन्य (उपरोक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त निर्णय के प्रयोजनों के लिए निर्णय के बीच संघर्ष को हल करना आवश्यक नहीं था।

मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड (ऊपर) के मामले में न्यायमूर्ति भगवती और मैसर्स जीत राम शिव कुमार और अन्य (ऊपर) के मामले में न्यायमूर्ति कैलासम। इसने माना कि रोक के सिद्धांत की एक सीमा यह है कि यह सरकारी नीति के स्तर पर काम नहीं करता है। 54. हालाँकि, इन सभी निर्णयों में एक आम धागा जो देखा जा सकता है वह यह है कि इन सभी निर्णयों में लगातार यह माना जाता है कि विधायिका के विधायी अभ्यास के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है।

कार्य। एम. रामनाथ पिल्लई (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ ने अमेरिकी न्यायशास्त्र में इस विचार को मंजूरी दे दी है कि राज्य के खिलाफ बहिष्कार के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाएगा। सरकारी, सार्वजनिक या संप्रभु क्षमता। इसने आगे कहा कि केवल

जहां धोखाधड़ी या प्रकट अन्याय को रोकने के लिए आवश्यक है, वहां विरोध के सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में अपवाद है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय के सभी फैसलों के विश्लेषण से पता चलेगा कि यह इस न्यायालय का एक सुसंगत दृष्टिकोण है, जिसे गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में फिर से दोहराया गया है।

55. निर्विवाद रूप से, छूट अधिसूचनाओं को वापस लेने की अधिसूचना 18 जुलाई 2017 को वैधानिक नियमों के अनुसार जारी की गई थी। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 (2) (सी) के तहत अधिदेश।

यदि एम/एस हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए विवाद को स्वीकार किया जाना है, यह सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 (2) (सी) के प्रावधान के तहत प्रावधानों को निरर्थक और अन्य बना देगा। विधायिका ने अपने विवेक में विशेष रूप से

इसमें धारा 174 (2) (सी) के प्रावधान को शामिल किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि निवेश के खिलाफ प्रोत्साहन के रूप में दी गई कोई भी कर छूट

संसद के विधायी कार्यों के विरुद्ध। इसलिए, हमारा विचार है कि निष्कासन पर अपीलार्थियों का दावा आधारहीन है और अस्वीकार किए जाने के योग्य है। 56. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने लगातार यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जब पहले दी गई छूट को नीति में परिवर्तन के आधार पर बाद की अधिसूचना द्वारा वापस ले लिया जाता है, तो ऐसे मामलों में भी, वचन रद्द करने के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। यह लगातार माना जाता रहा है कि जहां नीति में परिवर्तन व्यापक सार्वजनिक हित में है, वहां राज्य को उस प्रोत्साहन को वापस लेने से नहीं रोका जा सकता है जो उसने पहले की अधिसूचना के माध्यम से दिया था। इस संबंध में रिलायंस को कासिंका ट्रेडिंग और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य श्रीजी सेल्स कॉर्प के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर रखा जा सकता है। बनाम भारत संघ 3, राजस्थान राज्य बनाम महावीर तेल

इंडस्ट्रीज 3 1, श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड बनाम। U.P.32 की स्थिति, और विदेश व्यापार महानिदेशक बनाम कनक निर्यात 3 3

57. हाल ही में, इस न्यायालय ने यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में, इस मुद्दे पर इस न्यायालय के पहले के फैसलों का सर्वेक्षण करने के बाद

इस प्रकार देखा गयाः

" 26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह पूरी तरह से तय है कि दी गई छूट, तब भी जब छूट देने वाली अधिसूचना एक विशेष अवधि निर्धारित करती है जब तक कि यह उपलब्ध है,

राज्य द्वारा वापस लिया जाता है, यदि यह पाया जाता है कि इस तरह की निकासी जनहित में है। ऐसे मामले में, व्यापक जनहित होगा

31 (1999) 4 एससीसी 357 32 (2011) 3 एससीसी 193

33 (2016) 2 एससीसी 226 [2022] 13 एस. सी. आर.

व्यक्तिगत ब्याज, यदि कोई हो, से अधिक है। ऐसे मामले में, यदि राज्य का कार्य सार्वजनिक रूप से पाया जाता है, तो छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों का बचाव करने और राज्य को अपने वादे से पीछे नहीं हटने के लिए मजबूर करने के लिए वचन रद्द करने का सिद्धांत भी नहीं आएगा। ऐसा करने में रुचि रखते हैं। "

58. इसलिए, हमारा विचार है कि नीति में परिवर्तन के आधार पर भी, जो जनहित में है या तत्काल मामले की तरह जी. एस. टी. अधिनियम के लागू होने के कारण वैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन को देखते हुए, संघ को उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यानी 2003 के उक्त ओ. एम. द्वारा बाध्य रखना सही नहीं होगा। इसके अलावा, यह सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 (2) (सी) के तहत अधिनियमित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होगा।

59. एक और कारण है जो, हमारे विचार में, राहत को अयोग्य घोषित कर सकता है जैसा कि उच्च न्यायालयों के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया था। वास्तव में, अपीलकर्ता शेष अवधि के लिए केवल 58 प्रतिशत के बजाय सी. जी. एस. टी. की प्रतिपूर्ति करने के लिए भारत संघ के खिलाफ अनिवार्य रिट की मांग कर रहे हैं।

60. बिहार पूर्वी गंगा के मामले में यह न्यायालय

मछुआरा सहकारी समिति लिमिटेड (उपरोक्त) के पास इस बात पर विचार करने का अवसर था कि परमादेश की रिट कब जारी की जा सकती है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 15. ..... इस प्रस्ताव के पक्ष में प्रचुर अधिकार है कि अनिवार्य रिट केवल उस मामले में दी जा सकती है जहां संबंधित अधिकारी पर एक वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है और उस अधिकारी की ओर से वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता है। एक रिट का मुख्य कार्य कानून द्वारा निर्धारित सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन को मजबूर करना और अधीनस्थ न्यायाधिकरणों और सार्वजनिक कार्यों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर रखना है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि आदेश जारी करने के लिए अधिकारियों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है

कुछ, यह दिखाया जाना चाहिए कि एक क़ानून है जो

एक कानूनी कर्तव्य अधिरोपित करता है और पीड़ित पक्ष के पास एक कानूनी अधिकार है कानून के तहत अपने प्रदर्शन को लागू करने का अधिकार। (लेखराज देखें।

सत्रमदास लालवानी बनाम। डिप्टी कस्टोडियन-सह-प्रबंध

अधिकारी [एआईआर 1966 एससी 334: (1966) 1 एससीआर 120: (1966) 1 एससीजे 24]

राय शिवेंद्र बहादुर डॉ. वी. का शासी निकाय

नालंदा महाविद्यालय [ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1210: 1962 पूरक 2 एस. सी. आर. 144: (1962) 1 एलएलजे 247] और उमाकांत सरन डॉ. वी.

बिहार राज्य हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

[(1973) 1 एससीसी 485: ए. आई. आर 1973 एस. सी. 964])। तत्काल मामले में, यह

प्रत्यर्थी 1 द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि कोई क़ानून है या

कानून का बल रखने वाला नियम जो उत्तरदाताओं पर कर्तव्य डालता है 2 4 जो वे प्रदर्शन करने में विफल रहे। सब कुछ जो लागू करने की मांग की जाती है

एक अनुबंध से बहने वाला एक दायित्व है जो, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है,

यह बाध्यकारी और लागू करने योग्य भी नहीं है। तदनुसार, हम स्पष्ट हैं

इस राय के लिए कि प्रतिवादी 1 आवेदन करने का हकदार नहीं था

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश का अनुदान और उच्च न्यायालय इसे जारी करने के लिए सक्षम नहीं था।

[जोर दिया गया]

61. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब तक अपीलार्थी कोई वैधानिक न दिखाएँ

प्रत्यर्थी पर डाल दिया-भारत संघ उन्हें 100% धनवापसी प्रदान करने के लिए,

मांग के अनुसार अधिदेश जारी नहीं किया जा सका। स्थिति को दोहराया जाता है

के. एस. जगन्नाथन के मामले में अदालत है और एक अन्य (ऊपर) के रूप में

:

" 20. अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में उच्च न्यायालय इसका प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उनके अधिकार क्षेत्र में रिट जारी करने की शक्ति है।

मैंडमस या मैंडमस की प्रकृति में एक रिट या पारित करना आदेश देते हैं और आवश्यक निर्देश देते हैं जहाँ सरकार या

सार्वजनिक प्राधिकरण प्रयोग करने में विफल रहा है या गलत तरीके से प्रयोग किया है

किसी कानून या नियम या नीति द्वारा उसे प्रदत्त विवेकाधिकार

सरकार का निर्णय या इस तरह के विवेक का प्रयोग किया है

विवेकपूर्ण या अप्रासंगिक विचारों पर या प्रासंगिक को अनदेखा करके

विचार और सामग्री या इस तरह से कि निराश करने के लिए ऐसा विवेकाधिकार या नीति प्रदान करने का उद्देश्य

जिसे लागू करने के लिए ऐसा विवेकाधिकार दिया गया है। कुल मिलाकर

ऐसे मामलों में और किसी अन्य उपयुक्त और उचित मामले में उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एक रिट जारी करें

मैंडमस या मैंडमस की प्रकृति में एक रिट या आदेश पारित करें

और प्रदर्शन को उचित रूप से मजबूर करने के लिए निर्देश दें और

सरकार को दिए गए विवेकाधिकार का वैध तरीका

या एक सार्वजनिक प्राधिकरण, और एक उचित मामले में, रोकने के लिए

संबंधित पक्षों के साथ अन्याय, न्यायालय स्वयं कर सकता है

एक आदेश पारित करें या निर्देश दें जो सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को पारित या दिया जाना चाहिए था यदि यह ठीक से होता और

कानूनी रूप से अपने विवेक का प्रयोग किया।

62. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय का मानना है कि

लैमस जारी किया जा सकता है जहां प्राधिकरण [2022] 13 एस. सी. आर. का प्रयोग करने में विफल रहा है।

इसमें विवेक निहित है या उसने इस तरह के विवेक का दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रयोग किया है या एक अप्रासंगिक विचार पर।

63. इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा हाल ही में दोहराया गया था भारत फोर्ज लिमिटेड (ऊपर) का मामला इस प्रकार हैः

" 18. इसलिए, यह स्पष्ट है कि मैंडमस का एक लेखन या एक निर्देश, मैंडमस के लेखन की प्रकृति में, रोक नहीं किया जाना है, में किसी भी तकनीकीता पर अनुच्छेद 226 की शक्तियों का प्रयोग। यह है। केवल अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन। सार्वजनिक कर्तव्य होना चाहिए। जबकि कर्तव्य वास्तव में उत्पन्न हो सकता है एक क़ानून के रूप में आम तौर पर, शुल्क आम द्वारा लगाया जा सकता है चार्टर, सामान्य कानून, प्रथा या अनुबंध भी। तथ्य यह है कि एक कर्तव्य को उजागर करना पड़ सकता है और उसके चारों ओर धुंध हो सकती है इसके आकार को उजागर करने से पहले इसे साफ़ कर दिया गया हो सकता है कि अदालत को राहत न मिले किसी कानून में या अन्यथा किसी सार्वजनिक 25 कर्तव्य को समाप्त करने के अपने कर्तव्य का, यदि सार में, यह मौजूद है। समान रूप से, मैंडमस झूठ बोलेगा यदि प्राधिकरण, जिसके पास विवेकाधिकार था, इसका प्रयोग करने में विफल रहता है और पसंद करता है किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश के तहत कार्य करना। ए राइट ऑफ मैंडमस या उसकी प्रकृति में एक दिशा बहुत व्यापक दी गई थी इस देश में प्रचलित स्थितियों में दायरा और यह होना है जहाँ कहीं सार्वजनिक कर्तव्य है और वहाँ एक विफलता है प्रदर्शन करें और अदालतें तकनीकीताओं से बंधी नहीं होंगी और इसकी अन्याय करने वालों को न्याय दिलाना मुख्य चिंता होनी चाहिए। हम हैं। अन्य आवश्यकताओं को नहीं बढ़ाना या कम करना, जो आम तौर पर जब तक कोई मांग नहीं मिलती है तब तक मांग करने की आवश्यकता को शामिल करें

उन परिस्थितियों में व्यर्थ होना, जिन्हें पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है

इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों में "।

[जोर दिया गया]

64. निस्संदेह, वर्तमान मामले में, इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है

सी. जी. एस. टी. का 100% वापस करने के लिए संघ। इस तरह, हम पाते हैं कि राहत के रूप में माँगा नहीं जा सकता है।

65. यह हमें श्री एस. गणेश द्वारा उद्धृत निर्णयों के साथ छोड़ देता है।

और श्री वी. श्रीधरन, विद्वान वरिष्ठ वकील।

66. जहाँ तक सुप्रभात के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है

स्टील लिमिटेड (उपरोक्त) के संबंध में, विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या राज्य सरकार द्वारा बिहार वित्त अधिनियम की धारा 7 के तहत औद्योगिक नीति में उद्देश्यों और लिए गए नीतिगत निर्णयों को पूरा करने के लिए जारी की गई अधिसूचना को कानून में गलत माना जा सकता है यदि वह मैसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

यह औद्योगिक नीति का उल्लंघन है। टाटा कमिंस लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या राज्य की औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई अधिसूचना को सख्ती से या उदारता से समझा जा सकता है। लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, सवाल यह था कि क्या आबकारी और कराधान विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करने में देरी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार है। मंत्री उन संस्थाओं को अधिसूचना के लाभ से वंचित कर सकते थे जो इसके हकदार थे।

67. जहाँ तक एम. आर. एफ. लिमिटेड, कोट्टायम (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है, यह न्यायालय, उक्त मामले के तथ्यों में, विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि एम. आर. एफ. को वंचित करने का निर्णय

कुल 7 वर्षों में से 5 वर्षों से अधिक के लिए छूट का लाभ अत्यधिक मनमाना, अन्यायपूर्ण और अनुचित था। मनुएलसन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, विवादित का अवलोकन

उसमें दिए गए निर्णय से पता चलेगा कि जिस प्रावधान के तहत मनुएलसन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड लाभ का दावा कर रहा था, उसे हटा दिया गया था।

1 मार्च 1993 से प्रभाव। इसलिए इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि लाभ केवल उस अवधि के दौरान उपलब्ध होगा जब उक्त वैधानिक प्रावधान क़ानून पुस्तिका में मौजूद था, यानी 6 नवंबर 1990 से 1 मार्च 1993 तक। इसलिए, इस न्यायालय ने उस तारीख से लाभ के दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया जिस दिन वैधानिक प्रावधान को क़ानून की पुस्तक से हटा दिया गया था। 68. नेस्ले इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, प्रतिवादी दूध उत्पादकों ने 1 अप्रैल के बीच की अवधि के लिए खरीद कर का भुगतान नहीं किया।

1996 और 4 जून 1997 से सरकार ने उक्त अवधि के लिए खरीद कर को समाप्त करने का निर्णय लिया था। शेष अवधि के लिए, कर का भुगतान किया गया था। राज्य ने उपरोक्त अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से खरीद कर की वसूली करने का प्रयास किया था। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों का दावा सराहनीय पाया गया।

69. जहाँ तक वीडियो के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. श्रीधरन द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है।

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. लिमिटेड (ऊपर) का संबंध है, सवाल यह था कि क्या राज्य को बिक्री कर में छूट देने का अधिकार था

माल का वर्ग। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वर्गीकरण अनुमत था, बशर्ते कि यह शक्ति के रंगीन प्रयोग या दुरुपयोग से दूषित न हो। इस प्रकार, उक्त निर्णय वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

मामला।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

70. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त मामलों में से किसी में भी, यह मुद्दा नहीं था कि क्या, कानून में परिवर्तन के कारण, राज्य

पूर्ववर्ती कानून के तहत किए गए अपने प्रतिनिधित्व के साथ खड़े रहने के लिए भी बाध्य

जब कानून में परिवर्तन इसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है, तो यह विचार के लिए आता है। इसके विपरीत, इस न्यायालय ने संविधान पीठ के दो निर्णयों, चार न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय और तीन विद्वान न्यायाधीशों के विभिन्न निर्णयों सहित कई निर्णयों में लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य की विधायी शक्तियों के प्रयोग के खिलाफ वचन-निषेध लागू नहीं होगा। इस प्रकार, हमारे विचार में, उद्धृत निर्णयों में से कोई भी अपीलार्थियों के मामलों के लिए कोई सहायता नहीं करेगा।

71. जहाँ तक विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. गणेश का तर्क है कि संघ को छूट अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदान किए गए प्रावधान का संबंध है, हम पाते हैं कि उक्त प्रावधान के तहत, एक विवेकाधिकार केंद्र सरकार में निहित है, जिसका उपयोग जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर किया जाना है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी विशेष तरीके से शक्ति का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार को अनिवार्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, यह नीति का विषय है जिसे संघ द्वारा निर्धारित किया जाना है /

यह निर्णय लेते समय बताएँ कि क्या उसे सी. जी. एस. टी. के भुगतान से छूट देनी चाहिए या भुगतान किए गए कर की वापसी के लिए बजटीय आवंटन करना चाहिए। किसी भी मामले में, ऐसी शक्ति का प्रयोग केंद्र द्वारा किया जा सकता है सरकार केवल जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर काम करती है। जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, केंद्र सरकार इसके लिए बाध्य नहीं थी -

सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अधिनियमन द्वारा कानून में परिवर्तन को देखते हुए 2003 में इसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन के साथ जारी रखें। हालांकि, इसके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व का आंशिक रूप से सम्मान करने के लिए, इसने संस्थाओं द्वारा भुगतान किए गए सी. जी. एस. टी. का 58 प्रतिशत वापस करने का निर्णय लिया है। यह तय है कि यह न्यायालय सरकार के नीतिगत मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि ऐसी नीति स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन नहीं पाई जाती। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम यह नहीं पाते हैं कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 11 के आधार पर किया गया दावा किसी भी सार का है। 72. यद्यपि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्पण वचन के आधार पर अपीलार्थियों का दावा आधारहीन है, हम पाते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि अपीलार्थियों का दावा पूरी तरह से आधारहीन है।

73. अपीलकर्ताओं ने औद्योगिक नीति के आधार पर अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की है जैसा कि 2003 के उक्त ओ. एम. में परिलक्षित होता है। की नीति

वर्ष 2003, विचाराधीन, मेसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा दिए गए बयान पर आधारित था।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

माननीय प्रधानमंत्री उत्तराखंड की अपनी यात्रा के दौरान। इस प्रकार, देश के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए बयान को प्रभावी बनाने के लिए नीति बनाई गई थी। उक्त नीति के आधार पर, अपीलकर्ताओं ने अपनी इकाइयाँ स्थापित की हैं। हालाँकि अपीलार्थियों का कानूनी रूप से दावा नहीं हो सकता है, हम पाते हैं कि उन्हें एक वैध अपेक्षा है कि उनका दावा उचित विचार के योग्य है।

74. 30 सितंबर 2016 की जी. एस. टी. परिषद की बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

" 25. परिषद के सचिव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न प्रोत्साहन दिए हैं और
मूल्य वर्धित कर (वैट) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी)। उन्होंने कहा कि जी. एस. टी. व्यवस्था में इस तरह के प्रोत्साहन जारी नहीं रखे जा सकते हैं क्योंकि गंतव्य राज्य में कर के प्रवाह की अनुमति देने के लिए कर के भुगतान पर आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, ऐसी कर प्रोत्साहन योजनाओं को जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत लागू करने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि एक विकल्प यह हो सकता है कि ऐसी योजनाओं को 'दादा' बनाया जाए और उन इकाइयों को भुगतान किए गए कर की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य और केंद्रीय बजट में बजटीय विभाजन का प्रावधान किया जाए जो कर का लाभ उठाती हैं।

एक निर्दिष्ट अवधि तक छूट। हालांकि, इस दौरान

' ऐसी किसी भी योजना को दादा मानते हुए, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी कि वैट और सी. एस. टी. के विपरीत, जो मूल-आधारित कर थे,

जी. एस. टी. एक गंतव्य आधारित कर और बिना शर्त था।

प्रतिपूर्ति योजना से मूल राज्य के लिए दोगुना बहिर्वाह हो सकता है-एक गंतव्य राज्य को कर के हस्तांतरण के माध्यम से और

दूसरा आपूर्तिकर्ता को प्रतिपूर्ति के माध्यम से। इसलिए राज्यों को किसी भी प्रतिपूर्ति की योजना बनाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी

योजना और ध्यान रखा जा सकता है कि इस तरह की प्रतिपूर्ति

राज्य के भीतर की गई आपूर्ति के लिए सीमित। 26. गुजरात के माननीय उप-मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि

संभावित कानूनी जटिलताओं की जांच करें।

परिषद के सचिव ने बताया कि कार्यसूची नोट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय शामिल हैं - जिसके
अनुसार प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू नहीं होगा

एक ऐसा मामला जहां एक सार्वजनिक इक्विटी का पर्यवेक्षण किया गया था।

75. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जी. एस. टी. परिषद ने देखा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने केंद्र [2022] 13 एस. सी. आर. के विभिन्न प्रोत्साहन दिए थे।

उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) और केंद्रीय बिक्री कर (सी. एस. टी.) ताकि उन राज्यों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इसने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया

कि इस तरह के प्रोत्साहनों को जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि गंतव्य राज्य में कर के प्रवाह की अनुमति देने के लिए कर के भुगतान पर आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। इसका जो समाधान सुझाया गया था, वह था बजटीय प्रावधान।

उन इकाइयों को भुगतान किए गए कर की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य और केंद्रीय बजट में विभाजन, जिन्हें एक निर्दिष्ट सीमा तक कर छूट प्राप्त थी।

अवधि।

76. द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान देना आगे भी प्रासंगिक होगा।

उक्त बैठक में उत्तराखंड राज्य और जम्मू और कश्मीर राज्य, जो इस प्रकार हैं:

" 28. उत्तराखंड के माननीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 10 वर्षों के लिए क्षेत्र आधारित छूट दी है और ऐसी छूट 2020 तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र को केंद्रीय करों के लिए ऐसी इकाइयों की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए क्योंकि एक लाख से अधिक श्रमिकों की नौकरियां दांव पर हैं। जम्मू-कश्मीर के माननीय मंत्री ने कहा कि उनका राज्य उत्तराखंड के समान स्थिति में है। अध्यक्ष ने कहा कि एक बार प्रोत्साहन योजनाओं को वापस लेने के बाद, भुगतान किए गए करों को भारत की संचित निधि में शामिल किया जाएगा और 42 प्रतिशत राशि राज्यों को हस्तांतरित की जाएगी। इसलिए, केंद्र से उम्मीद की जा सकती है कि वह निधि के शेष 58 प्रतिशत में से केवल इकाइयों की प्रतिपूर्ति करेगा जो हस्तांतरण का हिस्सा नहीं था और राज्यों को भी तदनुसार भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त राजस्व के हिस्से से ऐसी इकाइयों की प्रतिपूर्ति करना।

77. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के माननीय मंत्री ने कहा था कि भारत सरकार ने एक क्षेत्र-आधारित क्षेत्र दिया था

10 साल के लिए छूट और इस तरह की छूट 2020 तक जारी रहने वाली थी। उनका विचार था कि केंद्र को केंद्रीय करों के लिए ऐसी इकाइयों की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए क्योंकि एक लाख से अधिक श्रमिकों की नौकरियां दांव पर हैं। जम्मू-कश्मीर के माननीय मंत्री ने भी उत्तराखंड के माननीय मंत्री के विचार का समर्थन किया था। तथापि, जी. एस. टी. परिषद के अध्यक्ष, अर्थात् माननीय वित्त मंत्री भारत संघ ने कहा कि केंद्र केवल 58 प्रतिशत की सीमा तक इकाइयों की प्रतिपूर्ति करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त राजस्व के हिस्से से ऐसी इकाइयों की प्रतिपूर्ति करने की भी आवश्यकता होगी। तदनुसार, जी. एस. टी. परिषद द्वारा उक्त बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:

मेसर्स हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[बी. आर. गवई, जे.]

" 29. परिषद ने निम्नलिखित को मंजूरी दीः

(i) किसी भी मौजूदा कर प्रोत्साहन योजना के तहत अप्रत्यक्ष कर के भुगतान से छूट प्राप्त सभी संस्थाओं को जी. एस. टी. व्यवस्था में कर का भुगतान करना होगा।

((ii) राज्यों की मौजूदा औद्योगिक नीतियों में या इसके माध्यम से विशिष्ट उद्योगों को दिए गए किसी भी प्रोत्साहन को जारी रखने का निर्णय।

केंद्र सरकार की कोई भी योजना, संबंधित राज्य या केंद्र सरकार।

(iii) यदि राज्य या केंद्र सरकार किसी भी मौजूदा छूट/प्रोत्साहन/स्थगन योजना को जारी रखने का निर्णय लेती है, तो इसे बजटीय मार्ग के माध्यम से प्रतिपूर्ति तंत्र के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा, जिसके लिए तौर-तरीके निम्नलिखित होंगेः

संबंधित राज्य/केंद्र द्वारा कार्य किया गया।

78. इसलिए हम पाते हैं कि स्वयं जी. एस. टी. परिषद के विचार-विमर्श में यह देखा गया है कि राज्यों को भी इसके अनुरूप विचार करने की आवश्यकता है।

उन औद्योगिक इकाइयों को प्रतिपूर्ति करना जो किसी भी मौजूदा प्रोत्साहन योजना के तहत छूट के हकदार थे, हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त राजस्व के हिस्से में से, जो वित्त आयोग के अनुसार 42 प्रतिशत है। वास्तव में, जम्मू और कश्मीर राज्य ने 21 दिसंबर 2017 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें संघ के शेष 42 प्रतिशत सी. जी. एस. टी. की प्रतिपूर्ति करने का संकल्प लिया गया है। यह तब तक सीमित है जब तक कि संघ योजना वैध नहीं हो जाती। 79. यह भी ध्यान देने योग्य है कि जी. एस. टी. परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसके पास व्यापक मुद्दों पर सिफारिशें करने की शक्तियां हैं।

यह उचित होगा कि ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार से हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त राजस्व के हिस्से में से ऐसी इकाइयों की प्रतिपूर्ति करने पर भी विचार करना चाहिए। हम आगे पाते हैं कि यह भी उचित होगा कि जी. एस. टी. परिषद उचित बनाने पर विचार करे। इस संबंध में राज्यों को सिफारिशें।

80. इसलिए हम अपीलकर्ताओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ जी. एस. टी. परिषद को अभ्यावेदन देने की अनुमति देते हैं। हम.

राज्य सरकारों और जी. एस. टी. परिषद से 634 पर विचार करने का भी अनुरोध करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह के अभ्यावेदन, यदि किए गए हैं, तो जो देखा गया है उसके अनुसार

ए.

यहाँ ऊपर त्वरित तरीके से।

81. परिणामस्वरूप, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है, सिवाय इसके कि

ऊपर पैराग्राफ 72 से 80 में की गई टिप्पणियाँ।

82. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

बी.

83. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कोई नहीं होगा

लागत के बारे में आदेश दें।

निधि जैन

(सहायकः राखी, एलसीआरए)